भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

प्रमुख कार्यक्रमों के परिणाम बजट 2012-2013

Outcome Budget 2012-2013 of the Flagship Programmes

वित्त मंत्रालय

मार्च 2012

Ministry of Finance

March 2012

प्रमुख कार्यक्रमों
के
परिणाम बजट 2012-2013

Outcome Budget 2012-2013
of the
Flagship Programmes

वित्त मंत्रालय
मार्च 2012

Ministry of Finance
March 2012

प्राक्कथन

जैसा कि मेरे बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, मैं बजट 2012-13 को पुनर्विचार, पुनर्मूल्यांकन और पुनरुत्थानशील भारत के लिए नए विचारों और नीतियों का मार्ग प्रशस्त करने के अवसर के रूप में देखता हूं । इसका उद्देश्य संतुलित विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और यह सुनिश्चित करना है कि इसके लाभ हमारे समाज के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचें । इससे विकास का सहायक आधार ही व्यापक नहीं बनेगा अपितु यह 12वीं पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना के अनुसार "तीव्रतर, सतत् और अधिक व्यापक विकास"सुनिश्चित करने की क्षमता को भी मजबूत करता है ।

संप्रग सरकार ने 2004 के बाद डिलीवरी प्रणाली, सुशासन और पारदर्शिता में सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करके लोक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं । व्यक्ति के रोजगार के अधिकार के लिए कानूनी हकदारी से आजीविका सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, सामाजिक असंतुलन को दूर करने और पारदर्शिता लाने के लिए सशक्तीकरण के कारगर साधन हैं । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के उद्देश्यों को साकार करने के लिए आधार मंच का उपयोग करके एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क का सृजन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता का निर्माण किया जा रहा है जो दिसम्बर, 2012 में कार्य करना प्रारंभ कर देगी । चुनिंदा 200 उच्च भार जिलों में मातृत्व एवं बाल पोषण के लिए एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम वर्ष 2012-13 में रॉल आउट किया जा रहा है । वर्ष 2012-13 के लिए कुल योजना व्यय 521025 करोड़ रुपए है जो 2011-12 के बजट अनुमान से 18 प्रतिशत अधिक है ।

फ्लैगशिप कार्यक्रम, व्यापक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग हैं। यद्यपि स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए अधिक परिव्यय प्रदान किए गए हैं, सरकारी स्कीमों के वास्तविक प्रभाव और असर के मूल्यांकन के लिए इनके परिणामों का मूल्यांकन तत्काल आवश्यक है । वर्ष 2005-06 से परिणाम बजट प्रणाली की शुरुआत के साथ परिव्यय के बजाय परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि सभी स्कीमों की गुणवत्ता बढ़े । इसके अतिरिक्त, राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम में मध्यकालिक व्यय रूपरेखा विवरण की शुरुआत की जा रही है जिससे प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए संसाधनों का इष्टतम आबंटन करने तथा ऐसी स्कीमों को समाप्त करने में मदद मिलेगी जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है । इससे बहुवर्षीय बजट व्यवस्था रूपरेखा में अधिकाधिक निश्चितता आएगी ।

विगत वर्षों की भांति संप्रग सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लक्षित परिणाम रेखांकित करते हुए सुलभ संदर्भ के लिए एक संकलन तैयार किया गया है । यह वर्ष 2012-13 के लिए संभावित परिणाम, परिमेय सेवाओं/वास्तविक परिणाम तथा इन कार्यक्रमों की डिलीवरी प्रणाली के संबंध में किए जा रहे संस्थागत सुधारों की संक्षेप में जानकारी देता है । वस्तुतः इनके बारे में पूर्ण जानकारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेश किए गए अलग-अलग परिणाम बजट दस्तावेजों में उपलब्ध होगी।

प्रणव मुखर्जी

(प्रणब मुखर्जी)
वित्त मंत्री

नई दिल्ली,
मार्च 27, 2012

विषय सूची

कार्यक्रम	मांग संख्या	पृष्ठ संख्या
'भारत निर्माण'		
ग्रामीण विद्युतीकरण	**75**	01
ग्रामीण टेलीफोनी	**14**	03
ग्रामीण सड़कें	**82**	04
ग्रामीण आवास	**82**	05
पेयजल	**84**	05
सिंचाई	**35**	06
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	**101**	08
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	**46**	11
सर्व शिक्षा अभियान	**58**	16
साक्षर भारत	**58**	18
राष्ट्रीय मध्याहन भोजन स्कीम कार्यक्रम	**58**	20
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	**105**	24
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम	**82**	27
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	**84**	29
पूर्ण स्वच्छता अभियान	**84**	30

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की स्कीम प्रारंभ की गई है । ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण तथा इसकी पूर्ण विकास क्षमता को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसरंचना में सुधार अनिवार्य है । रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है । इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) के प्रावधान, ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) के सृजन, तथा विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) तथा आपूर्ति के लिए 90 प्रतिशत पूंजी-सब्सिडी के साथ वित्तपोषित की जाती हैं । आरईडीबी, वीईआई एवं डीडीजी से कृषि तथा अन्य कार्यकलापों, जिनमें सिंचाई पम्पसेट्स, लघु तथा मझौले उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, कोल्ड चेन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं, की विद्युत आवश्यकताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलेगी । इस स्कीम के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवारों को नःशुल्क विद्युत कनैक्शन दिए जाते हैं ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन

	10वीं तथा 11वीं योजना के अंतर्गत आरजीजीवीवाई की कवरेज	**मार्च 2012 तक आरजीजीवीवाई के तहत भारत निर्माण लक्ष्य**	**31.12.2012 तक संचयी उपलब्धि**	**वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2012 को समाप्त तिमाही तक उपलब्धि**
विद्युतीकरण के लिए कुल गांव	110416	100000	100917	4355
सम्मिलित बी.पी.एल. परिवार	230.13 लाख	175 लाख	179.41 लाख	19.61 लाख

उपलब्धियां

वर्ष 2011-12 के दौरान 31 दिसम्बर, 2011 तक 4355 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 19.61 लाख बी.पी.एल. परिवारों को बिजली के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं । संचयी रुप से 100917 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 1,79,41,795 बी.पी.एल. परिवारों को बिजली कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं ।

वर्ष 2012-13 के अनुमानित परिणाम

वर्ष 2012-13 का बजटीय आबंटन ₹4900 करोड़ है । वर्ष 2012-13 में 4,800 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण तथा लगभग 34 लाख बी.पी.एल. परिवारों को बिजली कनैक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। इससे ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13			परिमेय सेवाएं-वास्तविक परिणाम 2012-13	प्रक्रिया/ समय सीमा	अनुमानित परिणाम	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
1	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	सभी गांवों का विद्युतीकरण तथा सभी ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाना		**₹4900 करोड़**		4,800 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा लगभग 34 लाख बीपीएल परिवारों को विद्युत कनैक्शन प्रदान करना ।	1.10 लाख गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण तथा 230.13 लाख बीपीएल परिवारों को विद्युत कनैक्शन जारी करने के लिए कुल 578 परियोजनाएं निष्पादन के लिए संस्वीकृत की जा चुकी है । 31.12.2011 तक, संचयी उपलब्धि 100917 गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकण तथा 179.41 लाख बीपीएल परिवारों को विद्युत कनैक्शन जारी करने की है।	इससे समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलेगी ।	परियोजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं तथा अप्रत्याशित घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण विलंब हो सकता है।

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार का विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है । किसी भी क्षेत्र के दूरसंचार विकास और समग्र आर्थिक विकास के बीच मजबूत दो-तरफा संबंध होता है । दूरसंचार सेवाएं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी तथा ग्रामीण इलाकों को देश के शेष इलाकों के साथ जोड़ने के महत्वपूर्ण साधन हैं ।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों में प्रारंभ में जनता तक ये सेवाएं पहुंचाने पर ध्यान दिया गया था । जनता की सार्वजनिक टेलीफोनों तक पहुंच, ग्राम पब्लिक टेलीफोनों, ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोनों और मल्टी एक्सेस रेडियो रिले टेलीफोनों की स्थापना के जरिए हुई ।

नवम्बर, 2004 में देश में गैर-सम्मिलित 62302 गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों के प्रावधान के लिए सब्सिडी सहायता प्रदान करने हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे । इनमें वे ग्राम शामिल नहीं हैं जिनकी आबादी 100 से कम है, घने जंगलों में हैं और उग्रवाद से प्रभावित हैं । इन गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन का प्रावधान भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्य के रूप में शामिल किया गया है ।

31.01.2012 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 62046 अर्थात 99.59 प्रतिशत ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं । वर्ष 2011-12 में जनवरी, 2012 तक इस स्कीम के अंतर्गत 16 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 2012 तक 256 और ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ।

चालू वित्त वर्ष 2011-12 में स्कीम का रॉलआउट पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत 25 दिसम्बर, 2000 को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तौर पर की गई थी । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों वाली सभी ऐसी पात्र बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना है जो अभी तक जुड़ी नहीं हैं । पर्वतीय (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड), आदिवासी (अनुसूची-V) क्षेत्रों तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों (मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में यथा अभिनिर्धारित) के संबंध में 250 और इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ना है । पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि योजना आयोग/गृह मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित चयनित जनजातीय तथा पिछड़े जिलों में 250 अथवा इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके ।

1,000 तथा इससे अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में (पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक (अनुसूची-V) पक्की सड़क उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है । इस कार्यक्रम में एक उन्नयन घटक भी है जिसमें 1.94 लाख कि.मी. लंबी विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्न्यन (राज्यों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली 40 प्रतिशत नवीकरण ग्रामीण सड़कों सहित) का लक्ष्य रखा गया था ताकि खेती से बाजार को पूर्णतः जोड़ा जा सके । राज्यों द्वारा जमीनी सत्यापन के आधार पर भारत निर्माण के अंतर्गत 63,940 बस्तियों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 2005-12 के दौरान इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ₹96,613 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं । दिसम्बर, 2011 तक भारत निर्माण के तहत किए जाने और सड़कों के निर्माण (नए सड़क संपर्क तथा स्तरोन्नयन दोनों के लिए) के क्षेत्र में समग्र प्रगति इस प्रकार हैः-

	लक्ष्य	**उपलब्धि (दिसम्बर, 2011 तक)**
शामिल किए जाने के लिए बिना सड़क संपर्क वाली बस्तियां	63,940	42,249
निर्मित की जाने वाली सड़क लंबाई (कि.मी.)	1,91,820	1,35,470
विद्यमान ग्रामीण सड़कों का उन्नयन (नवीकरण सहित) (कि.मी. में)	1,94,130	2,29,296

इसके अतिरिक्त, 16,126 बस्तियों को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

पीएमजीएसवाई में वर्ष 2011-12 के लिए आबंटन ₹20,000 करोड़ है जिसमें ₹2,211 करोड़ की विदेशी सहायता (विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से) शामिल हैं । चालू वर्ष (2011-12) के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 4,000 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने और कुल 33,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है ।

वर्ष 2012-13 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 40,000 कि.मी. नई संपर्क सड़कों के साथ 5000 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है ।

ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना)

इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं । गरीबी रेखा से नीचे के आश्रयहीन ग्रामीण परिवारों को अपने आवासीय मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है । नए मकान के निर्माण के लिए अधिकतम सीमा मैदानी इलाकों में ₹45,000/- प्रति मकान और पहाड़ी/दुर्गम इलाकों में ₹48,500/- प्रति मकान है ।

केंद्र एवं राज्यों द्वारा स्कीम के तहत 75:25 के अनुपात में अनुदान जारी किए जाते हैं । तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में निधियां केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा 90:10 के अनुपात में शेयर की जाती हैं । संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र शत-प्रतिशत सहायता मुहैया कराता है ।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे अनु.जाति/अनु.जन जाति के परिवारों के लिए मकानों हेतु आवश्यक है । इसी प्रकार, इंदिरा आवास योजना की 3 प्रतिशत राशि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए है । 2006-07 से 15 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित की जा रही है। आवासीय इकाई का आबंटन आमतौर पर लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाता है ।

चूंकि 2005-06 से इंदिरा आवास योजना "भारत निर्माण" कार्यक्रम का हिस्सा बन गई है इसके अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों की अवधि में इंदिरा आवास योजना के जरिए 60 लाख मकानों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई थी। इस लक्ष्य की तुलना में 71.76 लाख मकानों का निर्माण किया गया जो लक्ष्य से अधिक है । "भारत निर्माण" चरण-II के लिए वास्तविक लक्ष्य वर्ष 2009-10 से पाँच वर्षों की अवधि में 120 लाख मकानों के निर्माण का है । वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक 61.01 लाख मकानों का निर्माण हुआ तथा चालू वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक लक्ष्य 27.27 लाख मकानों का निर्माण करना है जबकि जनवरी, 2012 तक 31.21 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कृपया पृष्ठ 29 देखें)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय परियोजना

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरुआत 1996-97 में राज्यों को ऋण सहायता देने के लिए की गई थी ताकि उनको उन कुछ अधूरी पड़ी बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिल सके जो पूरा होने की कगार पर थीं तथा साथ ही देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण हो सके । इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 से पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्य सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा के कोरापुट, बोलानगीर तथा कालाहांडी जिलों की सतही छोटी सिंचाई स्कीमों को भी केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान की गई है । अप्रैल, 2004 से केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य स्कीमों की तरह इस कार्यक्रम में अनुदान घटक की शुरुआत की गई है । दिसम्बर, 2006 से प्रभावी मौजूदा एआईबीपी मानदंड के अनुसार, गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा विशेष वर्ग के राज्यों (उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट, बोलानगीर तथा कालाहांडी जिलों समेत) में बड़ी/मध्यम/छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के बराबर अनुदान चुनिंदा परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है । गैर-विशेष वर्ग के राज्यों में सिंचाई की छोटी स्कीमें यदि सूखा संभावित/आदिवासी क्षेत्रों में पड़ती हैं, उनको विशेष वर्ग के राज्यों के समान ही मानकर परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के बराबर अनुदान जारी किए जाते हैं । बड़ी और मध्यम परियोजनाएं जो सूखा संभावित/आदिवासी क्षेत्रों तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सिंचाई लाभ प्रदान कर रही हैं वे भी परियोजना लागत के 90 प्रतिशत अनुदान की हकदार हैं । इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 292 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा 13098 सतही छोटी सिंचाई स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ₹51553.253 करोड़ की राशि एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में दी गई है । कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से अब तक 134 बड़ी/मध्यम तथा 5150 सतही छोटी स्कीमों को पूरा किया जा चुका है । मार्च, 2009 तक बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 5.486 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की गई तथा सतही छोटी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 0.454 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई है । वर्ष 2009-10 के दौरान मार्च, 2010 तक 9.82 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिए जाने का अनुमान है।

एआईबीपी के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूखा संभावित/जनजातीय क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा केरल के कृषि संबंधी विपदाग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में सम्मिलित परियोजनाओं तथा राज्यों की उन परियोजनाओं को जिनका सिंचाई संबंधी विकास राष्ट्रीय औसत से कम है उनको एआईबीपी के अंतर्गत नई परियोजनाओं को शामिल करने के वन-टू-वन मानदंड में छूट देते हुए एआईबीपी में शामिल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र के कृषि संबंधी विपदाग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शुरुआत में शामिल की गई 65 बड़ी/मध्यम परियोजनाओं में से अभी तक 40 परियोजनाएं एआईबीपी के तहत वित्तपोषित की गई हैं । इन परियोजनाओं के लिए अभी तक ₹5978.915 करोड़ की अनुदान राशि जारी की जा चुकी है ।

वर्ष 2011-12 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एआईबीपी हेतु ₹9750 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए ₹1450 करोड़ भी शामिल हैं । इसमें से दिनांक 19.03.2012 की स्थिति के अनुसार एआईबीपी के तहत अनुदान के रूप में ₹5069 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है ।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 फरवरी, 2008 को हुई अपनी बैठक में परियोजना लागत के 90 प्रतिशत की केंद्रीय सहायता के साथ राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान कर दी है क्योंकि यह अनुदान निम्नलिखित चयन मानदंड के तहत आता हैः

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां भारत में जल का उपयोग संधि के तहत अपेक्षित है अथवा जहां परियोजना की नियोजना और उसे शीघ्र पूरा करना देश हित में आवश्यक है ।

(ii) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो लागत के बंटवारे, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलुओं आदि तथा नदियों को जोड़ने की परियोजना से संबंधित अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने के कारण रुकी पड़ी हैं ।

(iii) 2,00,000 एचए से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जहां जल के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद नहीं है और हाइड्रोलॉजी स्थापित की जा चुकी है ।

जल संसाधन मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण की विधि और रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है तथा इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है । अभी तक 3 परियोजनाएं अर्थात् महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना, पंजाब की शाहपुर कंडी परियोजना और पश्चिम बंगाल की तीस्ता बराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के तहत वित्तपोषित किया गया है । गोसीखुर्द परियोजना को 2008-09 से 2010-11 में अब तक ₹2582.94 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है । शाहपुर कंडी परियोजना को 2009-10 और 2010-11 के दौरान ₹26.036 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है । तीस्ता बराज परियोजना को 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण मिलना प्रारंभ हुआ और इस परियोजना के लिए ₹178.50 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जा चुका है ।

क्र. सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	परिणाम/लक्ष्य	वार्षिक योजना 2012-13	परिमेय सेवाएं	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	निर्माण के अंतिम चरण में चल रही सिंचाई/ बहु-उद्देशीय परियोजनाओं जो राज्य सरकार की संसाधन क्षमता से परे हैं, को निर्धारित समय में पूरा करना ताकि इससे क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो तथा ख) इन परियोजनाओं से संभावित लाभ प्राप्त हो सके ।	बजट प्राक्कलन 2012-13 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के लिए ₹14242 करोड़ प्रदान किए गए हैं ।	1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया और 10 बड़ी / मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया	1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 10 बड़ी / मध्यम परियोजनाओं को पूरा करना ।	एआईबीपी में सम्मिलित परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित की जानी हैं ।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी
नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को वर्ष 2005-06 में मौजूदा नागरिक सेवाओं के स्तर में वहनीय तथा स्थायी सुधार लाने में शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था । जेएनएनयूआरएम के तहत दो उप-मिशन इस प्रकार हैं:

(i) शहरी आधारभूत संरचना और शासन

(ii) शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाएं

शहरी अवसंरचना और विकास तथा लघु और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना और विकास स्कीम के लिए शहरी विकास मंत्रालय जिम्मेदार है । दो उप-मिशनों अर्थात् शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं और एकीकृत आवास एवं श्रम विकास कार्यक्रम पर आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

I. शहरी आधारभूत संरचना तथा शासन

शहरी अवसंरचना तथा शासन उप-मिशन में शहरी नवीकरण, जलापूर्ति (विलवणीकरण संयंत्रों सहित), सफाई, सीवेज तथा ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन, पुरातात्विक स्थलों का विकास, जल स्रोतों का संरक्षण आदि घटक शामिल हैं । वर्ष 2012-13 में जेएनएनयूआरएम (यूआईजी) के लिए आबंटन को 6340 करोड़ रुपए और यूआईडीएसएसएमटी के लिए 2110 करोड़ रुपए का आबंटन है ।

इस मिशन में द्विस्तरीय कार्यनीति अपनाई जाती हैः

(i) पहले स्तर में 65 अभिनिर्धारित शहरों में एकीकृत विकास के लिए मुख्य मिशन (जे.एन.एन. यू.आर.एम.) शामिल हैं ।

(ii) दूसरे स्तर में अन्य शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूआईडीएसएसएमटी तथा आईएचएसडीपी शामिल हैं ।

यूआईजी के तहत सहायता पाने के लिए शहरों को नगर विकास योजनाएं (सीडीपी) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होती हैं तथा राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं । इस समझौता ज्ञापन में राज्य तथा यूएलबी के स्तरों पर सुधारों को लागू करने की प्रतिबद्धता और प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

यूआईजी के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति

शहरों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और उनकी श्रेणी आदि के आधार पर निधियां निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती हैं:

श्रेणी	केन्द्र का हिस्सा (अनुदान)	लाभार्थी के अनुदान सहित राज्य/ यूएलबी/परास्टेल का हिस्सा
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर	35%	65%
2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के शहर/कस्बे	90%	10%
अन्य शहर	80%	20%

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत केन्द्र के 80 प्रतिशत हिस्से के साथ वित्तपोषण की पद्धति 80:10:10 है तथा राज्य और यू.एल.बी. का हिस्सा 10-10 प्रतिशत है । पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में वित्तपोषण की यह पद्धति 90:10 है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत तथा राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत है । भारत सरकार द्वारा दो किस्तों में धनराशि जारी की जाती है।

जेएनएनयूआरएम की शुरुआत से यूआईजी तथा यूआईडीएसएसएमटी के तहत प्रगति का ब्यौरा

2005-06 से संचयी (31.01.2012 तक)

क्रम. सं.	मद	यूआईजी	यूआईडीएसएसएमटी
1.	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	546	787
2.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	₹ 61,156.98 करोड़	₹ 13567.55 करोड़
3.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जिनके लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गईं (31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से)	31	31
4.	शहरों की संख्या जिनके लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गई	65	660
5.	कुल प्रतिबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	₹ 28299.22 करोड़	₹ 10886.52 करोड़
6.	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (बसों के लिए)	₹ 2088.00 करोड़	--
7.	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (ए.सी.ए.)	₹ 15677.14 करोड़	₹ 8209.63 करोड़

परिणाम (यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी)

- 65 मिशन शहरों ने शहरी गवर्नेंस और विकास में दीर्घकालिक संकल्पना एवं लक्ष्यों की योजना तैयार करते हुए व्यापक शहर विकास ऋण योजनाएं तैयार कर ली हैं । इन योजनाओं में निवेश योजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें संपूर्ण शहर में जलापूर्ति, स्वच्छता, जल-निकासी और शहरी निर्धनों हेतु मूलभूत सेवाओं के प्रावधान जैसी शहरी अवसंरचना सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है ।
- राज्यों एवं शहरों द्वारा शुरू की जाने वाली सुधार कार्यसूची के संबंध में समझौता ज्ञापन पर वार्ता हुई तथा 65 मिशन शहरों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए ।
- 31 जनवरी, 2012 तक, यूआईजी के तहत् जलापूर्ति, सड़क फ्लाई ओवरों/आर.ओ.बी., नालियों/जल निकासी, सीवेज, शहरी नवीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 126 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो गया था तथा यूआईडीएसएसएमटी के तहत जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, शहरी नवीकरण, जल स्रोतों और सड़क क्षेत्र से संबंधित 142 परियोजनाएं पूरी की गईं । इन परियोजनाओं का उद्देश्य बेहतर जल आपूर्ति, उन्नत सड़क नेटवर्क, बेहतर जल निकासी एवं मल जल निकासी प्रणाली आदि की व्यवस्था करना है ।

II. शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी.)

झुग्गीवासियों के लिए आवास एवं मूलभूत सेवाओं के एकीकृत विकास हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं से संबंधित उपमिशन तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत केन्द्रीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति (बी.एस.यू.पी के लिए) और केन्द्रीय संस्वीकृति समिति (आई.एच.एस.डी.पी के लिए) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्र का हिस्सा वित्त मंत्रालय (राज्यों को) और गृह मंत्रालय (संघ राज्य क्षेत्रों को) से जारी किया जाता है। दिसम्बर, 2005 में जेएनएनयूआरएम की शुरूआत के बाद और दिनांक 06.03.2012 तक बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत कुल 1524 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 1572780 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाएगा। दिनांक 06.03.2012 की स्थिति के अनुसार 572250 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा 380117 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य चल रहा है। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों के लिए कुल ₹3928.80 करोड़ के बजट अनुमान (₹4.00 करोड़ की राशि को छोड़कर जिसके लिए जेएनएनयूआरएम तथा आरएवाई का ब्यौरा गृह मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुआ है) में से 06.03.2012 की स्थिति के अनुसार ₹2541.17 करोड़ जारी किए जाने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। इसी अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹1502.84 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

वित्तपोषण

केन्द्रीय धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान के रूप में) जारी की जाती है । परियोजनाओं का वित्तपोषण निम्न प्रकार है:-

शहरों की श्रेणी	केन्द्र का हिस्सा (अनुदान)	राज्य/यूएलबी/पैरास्टेटल का हिस्सा जिसमें लाभार्थी अंशदान शामिल है
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या	50%	50%
2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक किन्तु 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के शहर/कस्बे	90%	10%
अन्य शहर	80%	20%

आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार/यू.एल.बी/पैरास्टेटल्स के बीच निधियों के बंटवारे का अनुपात 80:20 है । विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण पद्धति 90:10 के अनुपात में होगी। केन्द्रीय धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान) के रूप में जारी की जाती है। बीएसयूपी की तरह केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए तृपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक आवश्यक शर्त है।

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत लाभार्थी

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी झुग्गियों में रहने वाले और शहरी निर्धन हैं । बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत न्यूनतम 12 प्रतिशित लाभार्थी अंशदान नियत किय गया है जबकि अ0जा0/अ0ज0जा0/ अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के मामले में यह 10 प्रतिशत है ।

वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित बजट आबंटन ₹3000.00 करोड़ (बी.एस.यू.पी. के तहत ₹2100.00 करोड़ और आई.एच.एस.डी.पी. के तहत ₹900.00 करोड़) है ।

बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत प्रगति का ब्यौरा

1. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान (1.4.2010 से 31.3.2011 तक):

		बीएसयूपी	**आईएचएसडीपी**
1.	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	26	74
2.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	₹2995.94 करोड़	₹1177.17 करोड़
3.	निर्माण/स्तरोन्नयन हेतु अनुमोदित आवासीय इकाईयों की संख्या	62036	38825
4.	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (परियोजना प्रबंधन इकाइयों, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों आदि सहित कुल)	₹1925.63 करोड़	₹879.96 करोड़
5.	शामिल राज्य	5	9
6.	शामिल शहर	8	69

2. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 06.03.2012 तक कार्य निष्पादन :

		बीएसयूपी	**आईएचएसडीपी**
1.	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	18	48
2.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	₹1319.44 करोड़	₹874.50 करोड़
3.	निर्माण/स्तरोन्नयन हेतु अनुमोदित डी.यूज़ आवासीय इकाईयों की संख्या	27866	33562
4.	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा (परियोजना प्रबंधन इकाइयों, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों आदि सहित कुल)	₹978.46 करोड़	₹524.38 करोड़
5.	शामिल राज्य	8	6
6.	शामिल शहर	11	46

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

लक्ष्य और रणनीति

अप्रैल, 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य ग्रामीण निर्धनों को सुलभ, वहनीय और जवाबदेह अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना है । मिशन के लक्ष्यों में जच्चा और बच्चा मृत्यु दर में कमी लाना, जन स्वास्थ्य सेवाओं तक जनसामान्य की पहुंच, संक्रामक और असंक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उन पर नियंत्रण, जनसंख्या स्थिरीकरण, स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनः जीवित करना, आयुष को सर्वस्वीकार्य बनाना तथा स्वस्थ जीवनचर्या को बढ़ावा देना शामिल है । आयुष, एड्स नियंत्रण, पेयजल और स्वच्छता, महिला और बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा और श्रम जैसे विभागों के साथ अंतर्क्षेत्रीय समनुपरूपता सुनिश्चित की जाएगी ।

इस मिशन का ध्यान मुख्य तौर पर सभी स्तरों पर, अंतर्क्षेत्रीय समनुरूपता के साथ पूर्णतः कार्यात्मक, समुदाय स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने पर है । एनआरएचएम अपना ध्यान रोग केन्द्रित दृष्टिकोण से हटाकर कार्यात्मक सेवा प्रणाली पर संकेन्द्रित करने का प्रयास कर रहा है । एनआरएचएम की कार्यान्वयन रूपरेखा स्वास्थ्य सुविधाओं में सिटीजन चार्टर के प्रदर्शन का प्रावधान करती है । मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, 12वीं पंचवर्षीय योजना में नियत लक्ष्यों तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है ।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एनआरएचएम के लक्ष्य

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लाभों को समेकित करने तथा 11वीं योजना में मिशन की सफलता का लाभ उठाते हुए सुगम, किफायती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य चिकित्सा प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे जो निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार की होंगी और इसमें निवारक, प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वास्थ्य चिकित्सा की पात्रता के सुस्पष्ट सैट के सभी पहलू शामिल होंगे । आईएमआर, एमएमआर, टीएफआर और व्याप्त बीमारियों को कम करने के लिए राज्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे । आईएमआर के मामले में प्रत्येक राज्य के लिए लक्ष्य 12वीं योजना की पांच वर्ष की अवधि में आईएमआर में 40 प्रतिशत तक और एमएमआर में 55 प्रतिशत तक कमी लाना होगा । इसी प्रकार टीएफआर के लिए और रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में राज्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे । राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य निम्न प्रकार होंगेः

- मातृत्व मृत्यु दर को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 100 से कम लाना ।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 से कम करना ।
- एनएमआर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 18 से कम करना ।
- टी.एफ.आर. को 2.1 तक कम करना ।
- सभी 250 जिलों में फाइलेरिया; सभी 514 ब्लॉकों में कालाजार और सभी जिलों में लेप्रोसी का उन्मूलन ।
- टीबी की व्याप्ति और मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तक कमी ।
- मलेरिया की वार्षिक घटनाओं को प्रति 1000 पर 1 से कम करना ।
- जेई मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तक की कमी ।
- डेगूं के लिए घातकता दर 1 प्रतिशत से कम लाना ।

इसके अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्न लिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगेः

क. अधिक ध्यान वाले राज्यों में 80 प्रतिशत से अधिक, गैर-उच्च ध्यान वाले राज्यों में 95 प्रतिशत से अधिक और सभी राज्यों में 100 प्रतिशत सुरक्षित प्रसव ।

ख. गैर-उच्च ध्यान वाले राज्यों में 95 प्रतिशत से अधिक असंक्रमीकरण के साथ सभी राज्यों में 80 प्रतिशत से अधिक असंक्रमीकरण ।

ग. गैर उच्च ध्यान वाले राज्यों में 100 प्रतिशत के साथ सभी राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक जन्म से पहले और जन्म के पश्चात सेवा ।

घ. 50 प्रतिशत से अधिक आपातकालीन प्रसूति चिकित्सा दर नगदी बगैर प्रदान की जानी है (15 प्रतिशत गर्भावस्था में समस्याओं की उम्मीद की जा सकती है तथा जितनी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है वही संख्या आपातकालीन प्रसूति चिकित्सा दर है)।

ड.. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिए आसान पहुंच ।

च. अंतर देकर और सीमित विधि पर समान बल देते हुए गर्भनिरोधक की आवश्यकताओं को पूरी करना जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं ।

पिछले छह वर्षों में एनआरएचएम से बाह्य रोगियों के मामलों में, अंतर्रोगियों के मामलों में, संस्थागत प्रसव, रैफरल परिवहन की उपलब्धता, बहुत बड़ी संख्या में गांवों में स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति, औषधियों और निदान सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता बढ़ी है । विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन के विस्तार के लिए अनुबंध के आधार पर चिकित्सकों, विशेषज्ञों और स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स, मिड वाइफ आदि की संख्या बढ़ी है । इसने समुदायीकरण के लिए सफलतापूर्वक संस्थाओं की स्थापना की है और उन्हें अधिक क्रियाशील और प्रभावी सरकारी संस्थान बनाने की प्रक्रिया में लगा है ।

मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए उत्पादक एवं बाल चिकित्सा (आरसीएच-II का उद्देश्य बाल मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में कमी लाना है । संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप के रूप में जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य निम्न संस्थागत डिलीवरी दर वाले राज्यों के लिए विशेष ध्यान देते हुए निर्धन, गर्भवती महिलाओं में संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना है । आशा (विशेष समाज स्वास्थ्य कार्यकर्ता) अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवियों को गृह आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है । आशा के प्रशिक्षण मॉड्यूल-7 में विभिन्न पोषण पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण शामिल हैं ।

उपलब्ध अवसंरचना, जनसांख्यिकी और रोग कार्यक्रम विवरण दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना एकत्र करने के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत नियमित डाटा रखा जा रहा है । राज्यों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नाम के आधार पता लगाने की एक प्रणाली शुरू की गई है जिससे जन्म से पहले चिकित्सा, जन्म के बाद चिकित्सा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के असंक्रमीकरण की स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी । आरजीआई द्वारा किए गए नमूना रजिस्ट्रेशन प्रणाली वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण इन मापदंडों पर आधारित सूचना प्रदान करते हैं । आवधिक जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी किए जाते हैं ।

जिला ज्ञान केंद्रों के रूप में जिला अस्पतालों को विकास के लिए प्रथम चरण में लिया जाएगा और तदनुसार राज्यों को परामर्श दिया जाएगा ।

11वीं योजना के योजना दस्तावेज के अनुसार 11वीं योजना अवधि के लिए एनआरएचएम का कुल परिव्यय 90558 करोड़ रुपए था । वर्ष 2011-12 के दौरान एनआरएचएम का परिव्यय 17840 करोड़ रुपए था । वार्षिक योजना 2012-13 के लिए एनआरएचएम हेतु 20,542 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । फ्लैगशिप कार्यक्रम 'एनआरएचएम" के अंतर्गत किया गया व्यय निम्न प्रकार हैः

वर्ष		व्यय (करोड़ रुपए)	
2005-06	-	6284.58	
2006-07	-	7486.62	
2007-08	-	10380.40	
2008-09	-	11239.33	
2009-10	-	13305.76	
2010-11	-	14696.77	
2011-12	-	12232.08	(अनंतिम- 03 फरवरी, 2012 के अनुसार)

वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्रावधान (जैसा कि कोष्टक में दर्शाया गया है), मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नवीनतम सूचना के आधार पर प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. मिशन फ्लैक्सी पूल (₹5851 करोड़) का उद्देश्य संस्थागत संरचना को मजबूती देने तथा समुदाय और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बीच जमीनी स्तर पर प्रभावी संपर्क बनाने की है । एक कड़ी के तौर पर कार्यरत अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन और उनका प्रशिक्षण बेहद अहम है । आशाओं को प्रोत्साहन के आधार पर भुगतान किया जाता है । सितम्बर,

2011 की स्थिति के अनुसार देश में 8.55 लाख "आशा" कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है जिनमें से 8.07 लाख से अधिक को मॉड्यूल- I, 7.26 लाख को मॉड्यूल- II, 7.13 लाख को मॉड्यूल- III, 6.9 लाख को मॉड्यूल- IV तथा 5.73 लाख को मॉड्यूल- V, 0.93 लाख को मॉड्यूल-VI और 0.92 लाख को मॉड्यूल- VII में प्रशिक्षित किया गया है । 7.41 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के पश्चात ड्रग किट देकर नियुक्त किया गया है । 694 जिला अस्पतालों में, 4835 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सीएचसी से भिन्न 990 सुविधाओं, 17028 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ब्लॉक लेबिल से नीचे एवं एससी से ऊपर 6402 सुविधाओं में रोगी कल्याण समितियां स्थापित की गई हैं।

चल चिकित्सा इकाइयां 442 जिलों में कार्य कर रही हैं । 1.47 लाख उप-केन्द्रों (आरएचएस 2010) को संबद्ध निधियों के उपयोग से, औषधियों को उपलब्ध कराने, दाइयों (एएनएम) को नियुक्त करके अधिक प्रभावी बनाया गया है । एएनएम उप-केंद्रों और आउटरिच सेवाओं के अंदर मातृ एवं बाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं । 8330 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 24x7 घंटे कार्य कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं पर मानव संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए 8630 डाक्टर, 3028 विशेषज्ञ तथा 32860 स्टाफ नर्स, 14434 पैरामेडिक्स, 66784 एएनएम, 10851 आयुष डाक्टर और 3855 आयुष पैरामेडिक्स अनुबंध पर नियुक्त किए गए हैं ।

2. पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (₹805 करोड़) का उद्देश्य पोलियो को मिटाना है । देश में वाईवैलेंट टीके (बीओपीवी) की शुरुआत करके वर्ष 2010 में पोलियो को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2010 में 42 मामलों के मुकाबले में पोलियो के मामले की संख्या सिर्फ 1 रह गई है । यह पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद देश में पोलियो की मामले की सबसे कम संख्या है। वर्ष 2011 में 2 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 7 उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाए गए । एनआईडी के दौरान लगभग 17.2 करोड़ बच्चे तथा एसएनआईडी के दौरान 5 करोड़ बच्चे कवर किए गए । इसके अतिरिक्त, वाइल्ड टाइप पोलियो वाइरस मामलों की पहचान की प्रतिक्रिया में विस्तृत स्तर पर बहु-जिला मोप-अप्स का आयोजन किया गया ।

3. नेमी टीकाकरण (₹800 करोड़) का उद्देश्य वैक्सीन नियंत्रित बीमारियों के कारण रुग्णता और मृत्यु को कम करना है । स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की वर्ष 2011-12 (जनवरी 2012 तक) की रिपोर्ट के अनुसार उपलब्धियां इस प्रकार हैं: बीसीजी- 69 प्रतिशत, चेचक- 64.2 प्रतिशत, डीपीटी 3- 63.4 तथा ओपीवी - 60.4 प्रतिशत । इसके अतिरिक्त हैपिटाइटिस-बी टीकाकरण का विस्तार देश भर में किया गया है और चेचक की दो खुराक शामिल की गई हैं । जापानी एन्सीफैलाइटिस टीकाकरण 112 जिलों में पूरा हो चुका है तथा अब इसे नेमी टीकाकरण में शामिल कर लिया गया है।

4. आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (₹4938.51 करोड़) का उद्देश्य कार्यक्रमों को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने तथा प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए राज्यों को प्रचालनात्मक सहायता देना है ताकि एमएमआर, आईएमआर और टीएफआर को कम किया जा सके । जननी सुरक्षा योजना के तहत 2010-11 में 106.96 लाख लाभार्थियों तथा 2011-12 में (दिसम्बर, 2011 तक) 73.20 लाख लाभार्थियों को नकद सहायता मुहैया कराई गई है ।

5. सूचना, शिक्षा और संचार (₹230 करोड़) लक्षित समूहों के भीतर संकेन्द्रित पारस्परिक क्रिया के साथ मल्टीमीडिया के माध्यम से व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए संचार रणनीति पर ध्यान दिया जाता है । मुख्य गतिविधियों में एनआरएचएम की टीवी, रेडियो के माध्यम से ब्रांडिंग, सैटेलाइट तथा निजी चैनलों का प्रभावी इस्तेमाल, राज्य तथा जिला स्तर पर नवीन आईईसी. नीतियों का उपयोग, एनआरएचएम न्यूज लैटर तथा प्रभावी संप्रेषण के लिए अंतर-संचार मॉडल की शुरुआत शामिल है ।

6. अवसंरचना अनुरक्षण (₹4928 करोड़): अवसंरचना अनुरक्षण के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को (i) निदेश एवं प्रशासन (राज्य एवं जिला परिवार कल्याण ब्यूरो), (ii) उप केन्द्रों का रखरखाव (एएनएम/एलएचवी का वेतन), (iii) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, (iv) शहरी नवीकरण स्कीम (हैल्थ पोस्ट्स), (v) एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण, (vi) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण तथा (vii) एमपीडब्ल्यू (पुरुष) प्रशिक्षण स्कीमों के लिए सहायता अनुदान जारी किया जाता है ।

7. रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(क) राष्ट्रीय वैक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹572 करोड़)

मलेरिया- मलेरिया महामारी के क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में स्थित हैं । वर्ष 2011 में अक्तूबर, 2011 तक 1.28 मिलियन मामलों की सूचना मिली थी जिनमें 463 लोगों की मृत्यु हुई थी । आधार वर्ष 2006 के मुकाबले में वर्ष 2011 में मलेरिया के कारण अस्वस्थता में 28 प्रतिशत और मृत्यु में 73 प्रतिशत की कमी आई है । मलेरिया होने में कमी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों

में त्वरित निदान और बेहतर उपचार, कीटनाशी बैडनेट का उपयोग करके, दीर्घकालिक इंसेक्टीसाइडल बैडनेट का उपयोग करके मलेरिया के फैलने के जोखिम में कमी तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण के बारे में अधिकाधिक जागरूकता लाना शामिल है ।

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस- लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन हेतु, फाइलेरिया ग्रस्त राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक व्यापक दवा व्यवस्था की शुरुआत की गई । वर्ष 2010 के दौरान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक दवा व्यवस्था कार्यान्वित की गई जिसमें एलबेडाजोल के साथ डीईसी भी दी गई । लक्षित आबादी की तुलना में एमडीए की कवरेज इन राज्यों में 84 प्रतिशत थी । वर्ष 2011 के दौरान, मार्च 2011 में भारत सरकार द्वारा एंटीफाइलेरियल दबावों का विकेंद्रीकरण किया गया ।

जापानी एन्सेफलाइटिस- वर्ष 2010 के दौरान एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (एईएस) के 5167 मामले सामने आए तथा इसके कारण 679 लोगों की जान गईं । वर्ष 2011 में एईएस के 7871 मामले सामने आए तथा 1137 लोगों की जान गई इसमें से 2010 में जापानी एन्सेफलाइटिस के कारण रोगियों के 555 मामले और इससे मरने वालों के 112 मामले जबकि 2011 में इससे प्रभावित 1171 मामले और इसमें 182 लोगों की मृत्यु के मामले सामने आए थे । प्रकोपों की आवृत्ति तथा मामला मृत्यु दर (सीएफआर) में कमी लाने के लिए सेंटिनल निगरानी प्रयोगशाला और शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं की स्थापना करके निदान सुविधाओं को मजबूत बनाया गया है ।

डेंगू/चिकनगुनिया- वर्ष 2010 में डेंगू बुखार के 28292 और 110 मौतों के मामले सामने आए थे । वर्ष 2011 के दौरान (नवम्बर तक) डेंगू बुखार के 13910 मामलों और 93 मौतों की सूचना है । वर्ष 2011 के दौरान चिकनगुनिया बुखार के 18026 मामलों की सूचना है जबकि वर्ष 2010 में चिकनगुनिया बुखार के 48176 मामलों की सूचना थी । डेंगू/चिकनगुनिया के प्रकोपों की आवृत्ति तथा मामला मृत्यु दर (सीएफआर) में कमी लाने के लिए सेंटिनल निगरानी अस्पतालों की संख्या 170 से बढ़ा कर 311 की गई है और इन्हें 14 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं से जोड़ा गया है ।

कालाजार- कालाजार 4 स्थानिक राज्यों यथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में फैला हुआ है। वर्ष 2011 (अनंतिम) में कालाजार के 33043 मामले तथा इससे होने वाली 80 मौतों के मामले सामने आए जबकि 2010 में 29000 मामले और 105 लोगों की इससे जान गई थी । कालाजार के नए मामलों का पता लगाने और उनका पूरा उपचार करने के लिए गहन प्रयास किए गए थे ।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (₹51.0 करोड़)

32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पहले से ही कुष्ठरोग से निजात पा ली है (अर्थातः प्रति 10,000 की आबादी पर 1 से कम प्रचलित दर की प्राप्ति) । मार्च, 2011 में दर्ज की गई व्याप्ति दर 0.69/10000 हो गई थी जबकि दिसम्बर, 2005 में यह दर 0.95/10000 आबादी थी ।

तीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़ और दादर एवं नगर हवेली में व्याप्ति दर प्रति 10000 आबादी पर 1 से अधिक है । 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार वार्षिक नए मामला खोज दर (एएनसीडीआर/100000 आबादी) भी गिर कर 10.48 हो गई है । रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ कर 87 हो गई है और इसमें और अधिक मेडिकल कालेजों/जिला अस्पतालों को जोड़ा गया है तथा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी ली गई है।

(ग) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (₹710.15 करोड़)

इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पश्चात लगभग 1.24 मिलियन रोगियों पर उपचार शुरू किया गया था और इस प्रकार 2.2 मिलियन अतिरिक्त जीवन बचाए गए । विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2010 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, देश में टीबी से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या जो 1990 में प्रति लाख आबादी पर 42 से अधिक थी, 2009 में गिर कर प्रति लाख आबादी पर 23 रह गई है । देश में टीबी की व्याप्ति दर 1990 में प्रति लाख आबादी पर 568 से घट कर प्रति लाख आबादी पर 185 हो गई है और इस प्रकार इसमें 67 प्रतिशत की गिरावट आई है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान, इस कार्यक्रम ने 71 प्रतिशत से अधिक दर से कफ पॉजिटिव के नए मामलों की पहचान और 87 प्रतिशत की दर सफल उपचार उपलब्धि हासिल की है जो टीबी नियंत्रण के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है । अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 के दौरान आरएनटीसीपी डॉट्स उपचार पर सकारात्मक टीबी धब्बों का प्रतिशत 97 प्रतिशत था, नए सकारात्मक धब्बों की खोज दर 76 प्रतिशत थी, नए सकारात्मक धब्बा रोगियों के 3 माह की कन्वर्जन दर 90 प्रतिशत थी और नए कफ सकारात्मक रोगियों की उपचार दर 85 प्रतिशत थी और परिणामस्वरूप 2011-12 के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया ।

(घ) समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (63 करोड़ रुपए)

राज्य निगरानी इकाइयां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित हैं, इस प्रकार समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम संपूर्ण देश में चल रहा है । 2011 में कुल 1602 मामलों की सूचना मिली और राज्यों द्वारा उन पर ध्यान दिया गया । आईडीएसपी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए फिलहाल सभी कार्य घरेलू बजट से 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान रोग निगरानी एवं प्रतिक्रिया कार्यक्रम के अंतर्गत जारी रखे जाने का प्रस्ताव है ।

(ङ) राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (290 करोड़ रुपए)

वर्ष 2011-12 (दिसम्बर, 2011) के दौरान 24.58 लाख मोतियाबिंद की शल्यक्रियाएं की गईं और 0.46 लाख अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया गया । रिफ्रेक्टिव दोष वाले स्कूली बच्चों को 1.29 लाख चश्मे निःशुल्क मुहैया कराए गए हैं और कोरनियल इम्पलान्टेशन के लिए दान में दिए गए 15649 नेत्र एकत्रित किए गए ।

नई स्कीमें

12वीं योजना में उन्नत माध्यमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण की एक नई स्कीम प्रारंभ की गई है । 12वीं योजना में प्रारंभ की गई एक अन्य नई स्कीम देश में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क जैनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए है।

वर्ष 2012-13 के अनुमानित परिणाम (मार्च, 2013 तक प्राप्त किए जाने के लिए)

- 1 लाख आशाओं को ड्रग किट से सुसज्जित किया जाना ।
- 6400 एएनएम को संस्थागत डिलीवरी के लिए अभिनिर्धारित सभी उप-केंद्रों में उपलब्ध कराया जाना है ।
- पूरे देश में 800 नए उप-केंद्रों का निर्माण ।
- 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का 24X7 आधार पर संचालन ।
- 200 सीएचसी और अन्य स्तर की सुविधाओं को प्रथम रेफरल इकाइयों के रूप में उन्नत किया जाना है ।
- 900 डाक्टरों/विशेषज्ञों, 900 स्टाफ नर्सों, 900 पैरामेडिकल स्टाफ की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
- 100 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं को शर्त-मुक्त निधियां तथा वार्षिक रख-रखाव अनुदान देना ।
- 50 और जिलों में सचल चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ की जाएंगी ।
- पूरे देश में 400 ईएमआरआई वाहनों का संचालन किया जाएगा ।
- पूरे देश में 55 लाख ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित किए जाएंगे ।

सर्व शिक्षा अभियान

प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है जो शिक्षा की आधार शिला रखता है । देश के फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य, व्यापक पहुंच और अवधारणा, सामाजिक और लिंग और सामाजिक वर्गभेद को दूर करने तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त करना था और इसकी शुरुआत वर्ष 2001-02 में की गई थी । पिछले कुछ वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा को व्यापक बनाने और प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में लिंग और सामाजिक वर्ग भेद को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 01.04.2010 से लागू हो गया है ।

अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के मानकों/रूपरेखा में संशोधन किया है ताकि उन्हें अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुरूप बनाया जा सके । अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बन जाने के साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच धनराशि के बंटवारे की प्रणाली भी संशोधित कर दी गई है ।

- 11वीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित वित्तपोषण पद्धति योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए 55:45 और उसके पश्चात 50:50 के आधार पर थी । पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुवात 90:10 था ।
- अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2010-11 से इस अनुपात को संशोधित करके 65:35 के अनुपात में निश्चित कर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शेयरिंग प्रणाली 90:10 के अनुपात में जारी रहेगी ।

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार ने 11वीं वित्त योजना के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया था । तथापि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न आवश्यकताओं के कारण सरकार ने 2010-11 से 2014-15 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए 2,31,233 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का हिस्सा 65:35 अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) था । इस 2,31,233 करोड़ रुपए के परिव्यय को वर्ष 2010-11 से 2014-15 की 5 वर्ष की अवधि के दौरान राज्यों को 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई 24,068 करेाड़ रुपए की अनुदान सहायता से सहयोग प्रदान किया गया ।

वर्ष 2012-13 के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम - सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए 25,555 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है तथा इसके उद्देश्य/परिणाम नीचे दिए गए हैं:

उद्देश्य/परिणाम	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम
प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच दाखिले, कक्षाओं में बने रहने तथा शिक्षा स्तर में सुधार	• 5000 प्राथमिक स्कूलों तथा 10000 उच्च प्राथमिक स्कूलों का खोला जाना • 1.0 लाख अध्यापकों की नियुक्ति • 1.0 लाख अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	• छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों की स्कूलों में पहुंच को बढ़ाना। • प्राथमिक शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर को वर्तमान 28.9 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना • उच्चतर प्राथमिक जीईआर के वर्तमान 81.2 प्रतिशत के स्तर से 5 प्रतिशत की वृद्धि • एनसीईआरटी के शिक्षा आकलन सर्वेक्षण के अनुसार लड़कों और लड़कियों की शिक्षण उपलब्धियों में सुधार।

(क) वित्तीय प्रगतिः

(करोड़ रुपए में)

10वीं योजना केन्द्रीय परिव्यय	केन्द्रीय व्यय
17000.00	27896.25

(करोड़ रुपए में)

XI योजना परिव्यय	ब.अनु. 2010-11 (केन्द्रीय हिस्सा)	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए व्यय में केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा	ब.अनु. 2011-12 (केन्द्रीय शेयर)	2011-12 के दौरान किए गए व्यय में केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा	ब.अनु. 2012-13 (केन्द्रीय शेयर)
केन्द्रीय हिस्सा ** 71000	15000	19636.90+	21000.00	19103.22*	25555.00
राज्य का हिस्सा 49000	+ 4000 (पूरक अनुदान)	11716.91		+ 8499.89#	

* जनवरी, 2012 तक # दिसम्बर, 2011 तक

** 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार - सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹2,31,233 करोड़।

(ख) वर्ष 2011-12 में संचयी लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्रम सं.	मदें	उपलब्धियां (30.09.2011 तक)	
1.	विद्यालय खोलना	खोले गए	333458
2.	विद्यालय भवनों का निर्माण	पूरा हो गया है और प्रगति पर है	267209
3.	अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	पूरा हो गया है और प्रगति पर है	1410937
4.	पेय जल सुविधाएं	पूरा हो गया है और प्रगति पर है	212233
5.	शौचालयों का निर्माण	पूरा हो गया है और प्रगति पर है	477263
6.	पाठ्य-पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	आपूर्ति की गई	8.77 करोड़
7.	शिक्षकों की नियुक्ति	पूरा हो गया है	12.24 लाख
8.	शिक्षकों को प्रशिक्षण(20 दिवस)	पूरा हो गया है	19.23 लाख

388157 विद्यालय खोले जाने के संचयी लक्ष्य में से 333458 विद्यालय खोले जा चुके हैं । 299808 स्कूल भवनों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले में 267209 भवनों का निर्माण किया जा चुका है । 220953 पेयजल सुविधाएं प्रदान किए जाने के लक्ष्य मुकाबले में 212233 विद्यालयों में ये सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं ।

विद्यालय खोले जाने, विद्यालय अवसंरचना और पेयजल सुविधाओं के प्रावधान के क्षेत्र में सकल संचयी कार्यनिष्पादन 85 प्रतिशत से अधिक है । अध्यापकों की भर्ती के संबंध में अक्तूबर, 2010 तक 3.28 लाख और 2011-12 में 1.75 लाख अध्यापकों के पद स्वीकृत किए गए थे । इन्हें शीघ्र ही भर लिए जाने की संभावना है ।

साक्षर भारत

भारत सरकार ने 04 जून, 2008 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुनः तैयार करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नए रूपभेद साक्षर भारत का 08 सितम्बर, 2009 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसने यह 01 अक्तूबर, 2009 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । साक्षर भारत ने इस स्कीम में (i) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 80 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति (ii) साक्षरता में क्षेत्रीय असमानताओं को न्यूनतम करने तथा (iii) साक्षरता में लिंग भेद को कम करने के लिए मूलभूत साक्षरता प्रदान करने हेतु स्वयं सेवक आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।

साक्षर भारत, 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत अथवा इससे कम प्रौढ़ महिला साक्षरता दर वाले जिलों तक सीमित रहेगा । अब तक इस मानदंड के अंतर्गत शामिल 410 जिले 25 राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्र में अभिनिर्धारित किए गए हैं । इनमें वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित 35 जिले भी शामिल हैं चाहे उनकी प्रौढ़ महिला साक्षरता दर कुछ भी हो । साक्षर भारत मुख्यतः महिलाओं पर केंद्रित है किंतु यह कार्यक्रम अपनी परिधि से पुरुषों को बाहर नहीं करता है ।

देश में प्रत्येक महिला को दिसम्बर, 2009 तक साक्षर बनाने के लिए सरकार के निर्णय के छह महीने के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी । 73वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखते हुए साक्षर भारत को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है । 11वीं योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 19 राज्यों के 372 जिलों में यह मिशन प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें 161,993 ग्राम पंचायतें शामिल हैं । कुल मिलाकर इन जिलों में 7.58 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को लाभ मिलने की संभावना है ।

11वीं योजना में इस स्कीम का कुल परिव्यय 5257 करोड़ रुपए है । वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान स्तर पर बजट आबंटन 590 करोड़ रुपए है । 11वीं योजना अवधि के दौरान व्यय में भारत सरकार का हिस्सा इस प्रकार रहा हैः

- 2009-10 ₹333.89 करोड़
- 2010-11 ₹370.68 करोड़
- 2011-12 (31.12.2011 तक) ₹430.16 करोड़

निर्बाध और कारगर कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए साक्षर भारत में निम्नलिखित का प्रावधान हैः

- राज्य स्तर पर एसएलएमए के अलावा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर साक्षरता समितियों का गठन।
- राज्य (एसएलएमए) स्तर पर एक बचत बैंक खाता और जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सहायक खाते खोलना।
- उच्चतम ब्याज दर अर्जित करने के लिए खाते में शेष राशि का सावधि जमा में स्वतः अंतरण।
- भावी प्रशिक्षुओं की पहचान के लिए राज्यों द्वारा एक घरेलू सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है ।
- भावी प्रशिक्षुओं की पहचान के अलावा राज्यों को साक्षरता कक्षाएं चलाने और सर्वेक्षण के दौरान बैच बनाने के लिए स्वैच्छिक अध्यापकों की पहचान करनी होगी ।
- तत्कालीन नोडल निरंतर शिक्षा केंद्र / निरंतर शिक्षा केंद्रों का विलय करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एईसी की स्थापना करना ।
- तत्कालीन सीई कार्यक्रम के अंतर्गत यदि कोई नोडल निरंतर शिक्षा केंद्र / निरंतर शिक्षा केंद्र नहीं था तो नए एईसी स्थापना ।

साक्षर भारत कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक प्रौढ शिक्षा केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान करता है । अब तक शामिल 372 जिलों में साक्षरता, पठन कक्ष जैसी सुविधाएं, जागरूकता तथा इन पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ व्यक्तियों के जीवन और कार्य स्तर में सुधार के लिए अल्पकालीन कार्यक्रम जैसी निरंतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकाधिक ग्राम पंचायतों में 90,193 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं । कुछ प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में साक्षरता कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं ।

साक्षर भारत के लिए योजना, निगरानी और प्रभाव विश्लेषण के लिए एक विशेष रूप से तैयार की गई वेब आधारित प्रणाली विकसित की गई है जो भौतिक और वित्तीय नियोजना, निगरानी, प्रगति की समीक्षा तथा सबसे निचले स्तर से मिशन के प्रभाव के मूल्यांकन में मदद करती है । इस प्रणाली के भाग के तौर पर एक सार्वजनिक पोर्टल भी विकसित किया गया है जिसके माध्यम से इस स्कीम से संबंधित सूचना तथा विभिन्न स्तरों पर राज्यों में इसके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी नागरिकों को प्रदान की जाती है । मिशन में एक व्यापक, पारदर्शी, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली तैयार की है जिससे जवाबदेही बढ़ती है । धनराशि की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होती है, संसाधनों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उनका उपयोग विनियमन होता है और उसके प्रभाव पर निगरानी रखने में मदद मिलती है । सही समय पर व्यय की जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ इंटरफेस भी है ताकि एनएलएमए से लेकर निचले स्तर पर इसके वांछित प्रयोजन के लिए उपयोग तक इसके प्रत्येक स्तर पर धनराशि के प्रवाह का पता लगाया जा सके।

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे सामान्यतया मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) स्कीम के नाम से जाना जाता है, में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों एवं शिक्षा गारंटी स्कीम और मदरसा और मकतबों सहित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा केंद्रों तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चे शामिल हैं । बच्चों के दाखिले और उनकी उपस्थिति पर मध्याह्न भोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । यह बच्चों के लिए "पूरक पोषाहार" का एक नियमित स्रोत भी है और यह उनके स्वास्थ्य विकास में सहायता करता है । मध्याह्न भोजन विभिन्न सामाजिक पृष्ठिभूमि के बच्चों के एक साथ बैठने और एक जैसा भोजन करने से समतावादी मूल्य विकसित करने में मदद करता है। मध्याह्न भोजन विशेष रूप से विद्यालय के बच्चों में जाति और वर्ग के अवरोध तोड़ने में मदद कर सकता है । स्कूल भागीदारी में लिंग भेद भी कम हो सकता है क्योंकि यह प्रोग्राम ऐसे अवरोधों को समाप्त करता है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हैं ।

इस स्कीम के प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण के लिए एक विस्तृत एवं व्यापक तंत्र तैयार किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों तथा ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक-अध्यापक संघों के साथ-साथ मातृ समितियों के सदस्य (i) बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की नियमितता व पौष्टिकता, (ii) मिड-डे मील पकाने व परोसने में साफ-सफाई (iii) बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों, ईंधन आदि का समय से प्रापण, (iv) भोजन की किस्म में विविधता (v) सामाजिक तथा लिंग आधारित समानता पर निगरानी रखते हैं । राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को स्कूलों तथा केन्द्रों, जहां इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, का निरीक्षण करना होता है । प्रगति की समीक्षा सहित स्कीम के कार्यान्वयन का तिमाही मूल्यांकन, समीक्षा मिशनों द्वारा स्कीमों की मॉनिटरिंग, क्षेत्रीय कार्यशालाएं और राष्ट्रीय समीक्षा बैठकें नियमित आधार पर की जाती हैं । यह निर्णय लिया गया है कि 25 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों/ईजीएस तथा एआईई केन्द्रों का हर तिमाही में दौरा किया जाए । 41 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को मिड-डे मील स्कीम के प्रबोधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल योजना परिव्यय ₹ 48,000 करोड़ था । वर्ष 2011-12 के लिए बजट अनुमान स्तर पर बजट आबंटन ₹ 10380.00 करोड़ है ।

केंद्रीय सहायता घटक

इस समय मध्याह्न भोजन स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करती हैः

(i) प्राइमरी के लिए प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस 100 ग्राम तथा अपर प्राइमरी के लिए प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस 150 ग्राम की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की निकटतम एफसीआई गोदाम से आपूर्ति।

(ii) एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न उठाने और विशेष वर्गों के 11 राज्यों (अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) में स्कूलों तक इसे पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता इन राज्यों में लागू पीडीएस दरों पर दिनांक 01.04.2010 से प्रदान की जा रही है । अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निकटतम एफसीआई गोदाम से स्कूलों तक खाद्यान्न परिवहन सहायता की प्रतिपूर्ति, वास्तविक लागत आधार पर की जाती है जो अधिकतम 75 रुपए प्रति क्विंटल है।

(iii) 01.04.2011 से भोजन पकाने की लागत संशोधित की गई है । पकाने की लागत, केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90 :10 आधार पर और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 75 :25 अनुपात आधार पर बांटी जा रही है । तदनुसार, केंद्र का हिस्सा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का न्यूनतम हिस्सा इस प्रकार हैः

वर्ष 2011-12 के लिए

स्तर	पकाने की प्रति भोजन कुल लागत	केंद्र-राज्य का हिस्सा			
		गैर पूर्वोत्तर राज्य (75:25)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10)	
		केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य
प्राइमरी	₹ 2.89	₹ 2.17	₹ 0.72	₹ 2.60	₹ 0.29
अपर प्राइमरी	₹ 4.33	₹ 3.25	₹ 1.08	₹ 3.90	₹ 0.43

भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल और मसालों, ईंधन आदि की लागत भी शामिल है ।

(iv) 01.12.2009 से पूरे देश में प्रति स्कूल रसोई-सह-स्टोर के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्लिंथ एरिया मानक और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू राज्य दर अनुसूची के आधार पर प्रदान की जा रही है । रसोई-सह-स्टोर के निर्माण की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90 :10 के आधार पर वहन की जानी है और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 75 :25 के आधार पर वहन की जानी है । यह निर्धारित किया गया है कि 100 बच्चों वाले स्कूलों में रसोई-सह-स्टोर के निर्माण के लिए प्लिंथ एरिया 20 वर्ग मीटर होगा । प्रत्येक 100 अतिरिक्त बच्चों के लिए अतिरिक्त 4 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया शामिल किया जाएगा । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 100 बच्चों के स्लैब में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(v) ₹ 5000 प्रति विद्यालय की औसत लागत पर रसोई उपकरणों के प्रापण के लिए सहायता । रसोई उपकरणों में शामिल हैं :

(क) खाना पकाने का यंत्र (स्टोव, चूल्हा आदि)

(ख) खाद्यान्न और अन्य सामान रखने के कन्टेनर

(ग) खाना पकाने और परोसने के लिए बर्तन

(vi) 01.12.2009 से रसोईया सह-सहायक को 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जा रहा है तथा 25 छात्रों वाले विद्यालयों के लिए एक रसोईया-सह-सहायक, 26 से 100 छात्रों के स्कूलों के लिए 2 रसोईया-सह-सहायक और अतिरिक्त प्रत्येक 100 छात्रों के लिए एक अतिरिक्त रसोईया-सह-सहायक की नियुक्ति । रसोईया-सह-सहायक के मानदेय का व्यय केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90 :10 आधार पर और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 :25 आधार पर वहन किया जाता है ।

(vii) इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को (क) खाद्यान्न की लागत, (ख) खाद्यान्नों के परिवहन की लागत, (ग) पकाने की लागत और (घ) रसोईया-सह-सहायकों के लिए मानदेय के लिए कुल सहायता के 1.8 प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदान की जाती है । (क) खाद्यान्न की लागत, (ख) खाद्यान्नों के परिवहन की लागत, (ग) पकाने की लागत और (घ) रसोईया-सह-सहायकों के लिए मानदेय के लिए कुल सहायता के 0.2 प्रतिशत का उपयोग प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है ।

उद्देश्य/परिणाम, परिमेय सेवाएं/वास्तविक परिणाम तथा अनुमानित परिणाम इस प्रकार हैं:-

उद्देश्य/परिणाम	परिमेय सेवाएं/वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम
सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के स्कूलों, शिक्षा गारंटी स्कीम/वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा केन्द्रों तथा मान्यता प्राप्त मदरसों तथा मकतबों में पढ़ने वाले प्राथमिक स्तर (कक्षा I-VIII) के बच्चों तथा राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं के बच्चों के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान मिड डे मील उपलब्ध कराना:- (i) बच्चों की पोषाहार स्थिति में सुधार लाना । (ii(क)) सुविधा-वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित आधार पर स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान देने में मदद करना । (ii(ख)) ग्रीष्म अवकाश के दौरान, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषाहार सहायता मुहैया कराना । (ii) रसोईया-सह-सहायकों की नियुक्ति। (iii) पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन । (iv) इंटर एक्टिव वॉयस रिकार्डिंग सिस्टम के साथ वेब समर्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करना (v) कार्यान्वयन और निगरानी में समुदायों की भागीदारी (vi) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (vii) विज्ञापन और प्रचार	i) सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों, ईजीएस/एआईई केन्द्रों, मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकताबों और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के 11.07 करोड़ बच्चों (प्राथमिक स्तर पर 7.63 करोड़ तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.40 करोड़ और एनसीएलपी स्कूलों में 3.87 लाख) को नियमित आधार पर पके हुए मिड-डे मील की व्यवस्था। ii) सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार सृजन। iii-क) 2006-07 से 2010-11 तक 8.71 लाख स्कूलों में रसोई सह-स्टोर का निर्माण स्वीकृत किया गया है इसमें 5.01 लाख का निर्माण हो चुका है और 1.29 लाख रसोई शेड का निर्माण चल रहा है । iii-ख) 2006-07 से 2010-11 तक 11.31 लाख स्कूलों में रसोई उपकरणों के प्रापण की स्वीकृति दी गई है । 30.06.2011 तक 10.18 लाख स्कूलों में रसोई उपकरण खरीदे जा चुके हैं । iv) 31 मार्च, 2012 तक आईवीआरएस के एकीकरण के साथ एमआईएस का विकास । v) पारदर्शिता और जवाबदेही । vi) प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति। vii) एमडीएम पर फिल्म, रेडियो झलकी, पोस्टर और पुस्तिकाओं का विकास	i) सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों और राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं के बच्चों सहित ईजीएस/एआईई केन्द्रों में कक्षा I से VIII में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए स्वच्छ माहौल में पके हुए मध्याह्न भोजन की नियमित व्यवस्था कराना जिससे कि बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हो । ii) पोषक एवं गर्म पका हुआ भोजन स्कूल परिसर में परोसा जाएगा। iii-क) स्कूल में खाना पकाने के दौरान अप्रिय घटनाओं को समाप्त करने तथा चोरी और कीड़ा लगने की संभावना में कमी लाने के लिए स्कूल में सुरक्षित खाना पकाया जाना और खाद्यान्न भंडारण। iii-ख) सफाई और सुरक्षा के साथ भोजन तैयार करना और बच्चों को परोसना । iv) खाद्यान्न की आपूर्ति एवं खाना पकाने की लागत के बीच अंतर को कम करने के लिए स्कीम की सही समय पर निगरानी । v) समुदाय द्वारा बेहतर कार्यान्वयन एवं स्कीम की निगरानी vi) तरह-तरह का भोजन पका कर और आवश्यक पोषक तत्वों के साथ भोजन तैयार करके गुणवत्ता में सुधार तथा भोजन तैयार करने में ऊर्जा खपत तथा सुरक्षा के माध्यम से बचत vii) बच्चों की पात्रता, स्वच्छता और सुरक्षा, समुदाय जागरूकता और उनकी भागीदारी के प्रति जागरूकता लाना ।

(क) वित्तीय प्रगतिः

(करोड़ रुपए में)

दसवीं योजना केन्द्रीय परिव्यय	केन्द्रीय व्यय
₹ 5900.00	₹ 13747.38
योजना आयोग द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना का केन्द्रीय परिव्यय	**वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय व्यय**
₹ 48000.00	2010-11 में आबंटित ₹ 9440.00 करोड़ की तुलना में ₹ 9118.33 करोड़

ब.अनु. **2011-12**	सं. अनु. **2011-12**	**30.12.2011** तक केन्द्रीय व्यय
10380	10380	7592.69

(ख) वर्ष 2011-12 के लक्ष्य तथा उपलब्धि

क्रम सं.	मदें	उपलब्धियां
1	स्कीम में शामिल बच्चों की संख्या	30.09.2011 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 7.15 करोड़ और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3.25 करोड़ (कुल 94 प्रतिशत) ।
2	रसोई-सह-स्टोर का निर्माण	2006-07 से 2010-11 तक 8.71 लाख स्कूलों में रसोई सह-स्टोर का निर्माण स्वीकृत किया गया है । स्वीकृत 8.1 लाख रसोई शेड में से 5.01 लाख का निर्माण हो चुका है और 1.29 लाख रसोई शेड का निर्माण चल रहा है ।
3	रसोई उपकरणों की खरीद	2006-07 से 2010-11 तक 11.31 लाख स्कूलों में रसोई उपकरणों के प्रापण की स्वीकृति दी गई है । 30.06.2011 तक इनमें से 10.18 लाख स्कूलों में रसोई उपकरण खरीद लिए गए हैं ।

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम

02 अक्तूबर, 1975 को 33 समुदाय विकास ब्लॉकों में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस), आज विश्व में चल रहे बच्चों के प्रारंभिक विकास के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है । आईसीडीएस, भारत की अपने बच्चों के प्रति वचनबद्धता का सबसे पहला प्रतीक है । यह, छह वर्ष की आयु वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशु-पालन करने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवा का एकीकृत पैकेज मुहैया कराने का प्रयत्न करता है । वर्तमान में ये सेवाएं लगभग 12.95 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 22 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के नेटवर्क के जरिए पहुंचती हैं । इस स्कीम के अंतर्गत छह सेवाओं का एक पैकेज है अर्थात् (i) संपूरक पोषाहार; (ii) अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा; (iii) पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा (आईसीडीएस कार्मिकों के माध्यम से); (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) परामर्शी सेवाएं (स्वास्थ्य प्रणालियों के मेल से) ।

आईसीडीएस, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। आईसीडीएस के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है ।

इस स्कीम को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य 792 अतिरिक्त परियोजनाओं तथा लगभग 3 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी है । इसके साथ, संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या अब 7076 (6779 चालू हैं); स्वीकृत एडब्ल्यूसी की संख्या 13,66,776 (12,95,863 चालू हैं) और इस प्रकार, एडब्ल्यूसी की कुल संख्या लगभग 14 लाख हो गई है (अर्थात् एडब्ल्यूसी, मिनी एडब्ल्यूसी और मांग पर 20,000 एडब्ल्यूसी शामिल हैं । वित्तीय वर्ष 2009-10 से, भारत सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच आईसीडीएस की वित्तपोषण पद्धति में संशोधन किया है । एसएनपी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों जहां अनुपात 90:10 कर दिया गया है, को छोड़कर अनुपात 50:50 जारी रहेगा । आईसीडीएस के लिए आबंटन 2011-12 में 14048.40 करोड़ रुपए से बढ़कर 2012-13 में 15,850 करोड़ रुपए हो गया है ।

आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आईसीडीएस परियोजनाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रचालन के लक्ष्य प्रतिवर्ष संचयी रूप से निर्धारित किए जाते हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 11वीं योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं । शत प्रतिशत से कम उपलब्धि को खराब उपलब्धि माना जाता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों/लघु आंगनबाड़ी केंद्रों की संस्वीकृत संख्या तक इन्हें चालू करने की अनुमति दी जाती है। आईसीडब्ल्यूएस परियोजनाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान लक्ष्यों के संदर्भ में उपलब्धि इस प्रकार हैः

11वीं योजना के दौरान आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियां

	परिमेय लक्ष्य	लक्ष्य (11वीं योजना)	उपलब्धि (संचित) 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार
1.	प्रचालित की जाने वाली आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या	6900 (संचयी)	6779 (संचयी)
2.	प्रचालित किए जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	13.09 लाख (संचयी)	12.96 लाख (संचयी)

आईसीडीएस स्कीम स्वतः-चयन स्कीम है । आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक आहार के लिए लाभार्थियों (माताओं और बच्चों के लिए) के संबंध में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि राज्यों को सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात् आईसीडीएस स्कीम

की पद्धति और मानदंडों के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक आहार प्रदान करना होता है। राज्यों को सभी कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के सभी पदों को भरना होता है और इस प्रकार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्धियां

परिमेय लक्ष्य	लक्ष्य (2011-12)	उपलब्धियां (2011-12)*
प्रचालित की जाने वाली आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या	7050 (संचयी)	6779 (संचयी)
प्रचालित किए जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	13.40 लाख (संचयी)	12.95 लाख (संचयी)
लाभार्थियों की संख्या- पूरक पोषाहार	बच्चेः 863.00 लाख माताएं : 190.00 लाख	बच्चेः 757.36 लाख माताएं : 180.05 लाख
विद्यालय-पूर्व शिक्षा पाने वाले लाभार्थियों की संख्या	403.00 लाख	357.85 लाख

**30.11.2011 तक*

गिरावट के कारणः

1 और 2 : भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद से आईसीडीएस परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना होता है । लंबित मुकदमों और राज्यों की अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्यों द्वारा संस्वीकृति देने तथा उनके संचालन में विलंब होता है ।

3 और 4 : प्रचालन में वृद्धि के साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है ।

उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय-सीमाएं	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6
(i) 0-6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों की पोषाहार और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना । (ii) बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की आधारभूमि तैयार करना । (iii) मृत्युदर, विकृति, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने	₹15850.00 करोड़	1. मार्च, 2013 तक प्रचालित की जाने वाली आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या (संचयी) : 7000 2. मार्च, 2013 तक प्रचालित किए जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या (संचयी) : 13.40 लाख	*बच्चों से संबंधित बेहतर परिणाम* पूरक आहार एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में लक्ष्य, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात् 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं	1. मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा बैठकों के माध्यम से प्रचालनात्मक प्रगति संबंधी स्थिति की समीक्षा की जाएगी । 2. जागरूकता, प्रशिक्षण एवं आईईसी क्रिया-कलाप बढ़ाना	1. सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए, राज्य का हिस्सा जारी करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी निधियां राज्य के हिस्से सहित शीघ्रता से उपलब्ध कराने, सभी रिक्त पदों को भरने तथा विस्तृत आईईसी कार्यकलापों को

उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय-सीमाएं	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6
की घटनाओं में कमी लाना । (iv) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी तालमेल कायम करना, और (v) समुचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता में वृद्वि करना ।		3. छह सेवाओं अर्थात (i) संपूरक पोषाहार; (ii) अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा; (iii) पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा (आईसीडीसी मंच के माध्यम से); (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) परामर्शी सेवाओं (सभी स्वास्थ्य प्रणालियों सहित) का पैकेज लक्षित वर्गों को मुहैया कराया जाता है, ताकि इसके उद्देश्य/परिणाम को हासिल किया जा सके । 4.संशोधित एमआईएस का रोल आउट ।	को ये सेवाएं प्रदान करनी होती हैं । केवल समीक्षा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित संभावित लक्ष्य/परिणाम निर्धारित किए गए हैं: 1. संपूरक पोषाहार प्राप्त करने के लिए 6 माह से 6 वर्ष तक के लाभार्थी बच्चों की संख्या= 8.04 करोड़ 2. संपूरक पोषाहार प्राप्त करने के लिए गर्भवती/ स्तनपान कराने वाली लाभार्थी माताओं की संख्या= 1.88 करोड़ 3. विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले लाभार्थी बच्चों (3 से 6 वर्ष) की संख्या= 3.75 करोड़।		शुरू करने के लिए राज्यों को गंभीर प्रतिबद्वता दर्शाने की जरूरत है । 2. राज्यों द्वारा बेहतर डिलीवरी प्रक्रिया और विशेषतः एसएनपी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है । पोषण और वित्तीय प्रतिमानों संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए । 3. गहन पर्यवेक्षण और नियमित प्रबोधन किया जाना चाहिए । 4. राज्यों द्वारा प्रशिक्षण योजनाएं समय पर प्रस्तुत करने की जरूरत है तथा सूचना प्रचार-प्रसार का कार्य सभी स्तरों पर पूरा हो जाना चाहिए । 5 एकीकृत बाल विकास सेवाओं को सुसाध्य एवं सुदृढ़ करने में पीआरआई, एसएचजी, एनजीओ की भागीदारी ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी परिवार, जिसके बालिग सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार दिलाने के माध्यम से बढ़ी हुई आजीविका सुरक्षा मुहैया कराना है। 2 फरवरी, 2006 से यह अधिनियम, देश के 200 अधिसूचित जिलों में लागू किया गया था तथा वर्ष 2007-08 से इसमें 130 अतिरिक्त जिलों को शामिल किया गया है । 01 अप्रैल, 2008 से इस अधिनियम के दायरे में देश के शेष सभी जिलों को ले लिया गया है । इस प्रकार यह सांविधिक वचनबद्धता कि इस अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्षों के भीतर देश के सभी जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा, अब पूरी की जा चुकी है ।

महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है । इस प्रकार, इसमें कार्यों की मांग निधियों की जरूरत तथा रोजगार सृजन पर निर्भर है । तथापि, वर्ष 2010-11 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय (बी.ई.) 40,000.00 करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के 22 जुलाई, 2009 की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I, पैराग्राफ-I, उप-पैरा (iv) संशोधित कर दिया गया है जिसके मुताबिक "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 के अंतर्गत यथा-परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी संबंधी पौधारोपण और भूमि विकास सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I,पैरा-I के उप-पैरा (iv) में निम्नलिखित अधिसूचित किया गया हैः "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का ग्रामीण ज्ञान संसाधन केंद्रों के रूप में तथा ग्राम पंचायत भवन का ग्राम पंचायत स्तरों पर निर्माण" ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य क्रिया-कलाप के तौर पर आईएपी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत क्रीडा स्थलों का निर्माण । आंतरिक सड़कों के लिए पत्थर खड़ंजा अथवा ईंट खड़ंजा, जहां पत्थर/ईंट खड़ंजा उपलब्ध नहीं वहां सीमेंट कंक्रीट सड़क के प्रयोग की अनुमति देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दिशा निर्देशों के पैरा 6.1.1 (viii) में संशोधन किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र निष्पादन इस प्रकार है:

क्र. सं.	संसूचक	2006-07 (200 जिले)	2007-08 (330 जिले)	2008-09 (615 जिले)	2009-10 (619 जिले)	2010-11 (626 जिले)	*2011-12 (626 जिले)
1	परिवारों को प्रदत्त रोजगार (करोड़)	2.10	3.39	4.51	5.26	5.49	3.77
2	कुल सृजित व्यक्ति दिवस (करोड़)	90.5	143.59	216.32	283.59	257.15	120.88
	अ.जा. के लिए	22.95 (25 %)	39.36 (27%)	63.36 (29%)	86.45 (30%)	78.76 (31%)	27.40 (23%)
	अ.ज.जा. के लिए	32.98 (36%)	42.07 (29%)	55.02 (25%)	58.74 (21%)	53.62 (21%)	20.69 (17%)
	महिलाओं के लिए	36.79 (40%)	61.15 (43%)	103.571 (48%)	136.40 (48%)	122.74 (48%)	59.80 (49%)

** दिसम्बर, 2011 तक*

वर्ष 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल 626 जिलों में 3.77 करोड़ परिवारों को मजदूरी-रोजगार मुहैया कराया गया और 120.88 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार का सृजन किया गया। यह, प्रति परिवार 32 दिनों का औसत रोजगार बनता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित कुल रोजगार में 23% और

17% प्रतिशत व्यक्ति दिवस रोजगार अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को प्राप्त हुए हैं । वर्ष के दौरान रोजगार सृजन में महिलाओं की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत रही है ।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हकदारी के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन की वास्तविक मजदूरी उपलब्ध कराने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2009 में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी दरों के निर्धारण और उसके आवधिक संशोधन हेतु इन्डैक्स के विकास हेतु डा. प्रणब सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है । इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । अंतिम निर्णय लंबित होने तक भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सूचकांक मजदूरी दर को खेतिहर मजूदरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है और तदनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के अंतर्गत संशोधित मजदूरी दरों को अधिसूचित करते हुए दिनांक 14.01.2011 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक अहम लक्ष्य वाटर शेड अप्रोच, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा और गांवों को शहरों से जोड़ने से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हुए स्थायी संपदा सृजित करने का है । 62.72 लाख कार्यों को पूरा किया गया जिसमें से 50 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण से संबंधित था जबकि शेष कार्यों में वनरोपण, भूमि विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी आदि से जुड़े कार्य शामिल थे ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में सभी आंकड़े डाल देने से इस स्कीम का प्रबंधन ज्यादा पारदर्शी हो गया है । स्कीम के परिणामों की सार्वजनिक संवीक्षा के लिए स्कीम की सामाजिक लेखापरीक्षा भी की जाती है ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक मांग आधारित कानून है । इसमें सृजित व्यक्ति-दिवस, रोजगार की मांग पर निर्भर हैं । इसलिए परिणाम, मजदूरी-रोजगार के लिए परिवारों की मांग पर वास्तविक रूप से सृजित व्यक्ति-दिवस होंगे ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ पेयजल, भारत निर्माण का एक घटक है जिसका उद्देश्य, वर्ष 2012 तक भारत के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना है । पेयजल की आपूर्ति, जनसामान्य तक पुहंचाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) (तत्कालीन त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम) जल क्षेत्र में भारत सरकार का प्रमुख हस्तक्षेप है । नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, करीब 75 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है जो भूजल के अत्यधिक दोहन, सतही जल स्रोतों और वर्षा जल संचयन आदि के प्रति लापरवाही तथा नई बस्तियों के सृजन तथा कभी-कभी सेवाओं की गैर-कार्यात्मकता जैसे कारणों से है । भूजल स्तर के लगातार गिरते जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में एक अन्य खतरनाक परिणाम अर्थात् पानी में आर्सेनिक तथा फ्लोराइड जैसे अत्यधिक विषैले रासायनिक तत्वों के घुलने का मामला सामने आया है । सभी घरों को पानी न उपलब्ध कराए जाने का एक अहम कारण, जल के एकमात्र स्रोत अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल (85 प्रतिशत) और शहरी क्षेत्रों में सतही जल पर अत्यधिक निर्भरता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में आवासों को शामिल करने के बजाय मुख्य बल सभी परिवारों तक पेयजल पहुँचाने पर दिया जा रहा है । एन एन एस ओ के 65वें चक्र के सर्वेक्षण (2008-09) के अनुसार, 90% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास संरक्षित स्रोतों से प्राप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, कुल 1,45,169 घरों को (1,15,379 आंशिक रूप से कवर किए गए और 29,790 गुणवत्ता प्रभावित) कवर किए जाने का लक्ष्य है । 31 जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार इस लक्ष्य की तुलना में 76,946 (65,243 आंशिक तौर पर कवर किए गए और 11,703 गुणवत्ता प्रभावित) घरों को कवर किया गया है । वर्ष 2011-12 में 30,380 सरकारी ग्रामीण स्कूलों को जलापूर्ति किए जाने का लक्ष्य है जिसमें से अब तक विभाग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार, 18,226 स्कूलों को कवर कर लिया गया है ।

2012-13 के लक्ष्य/परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 10,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2011-12 की अब तक की उपलब्धियों के आधार पर राज्यों के साथ परामर्श करके वर्ष 2012-13 के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाना है और यह उम्मीद है कि आंशिक रूप से सम्मिलित 1,15,500 बस्तियों और गुणवत्ता प्रभावित 30,000 बस्तियों को 2012-13 में शामिल किए जाने की संभावना है जो राज्यों द्वारा सूचित किए जाने वाले अंतिम लक्ष्यों पर निर्भर करेगा ।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान

ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सुधारने तथा महिलाओं को निजता व गरिमा दिलाने के लक्ष्य के साथ 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) की शुरुआत की थी । वैयक्तिक साफ-सफाई, घरेलू शौचालय, स्वच्छ पेयजल और कचरा आदि तथा अपजल अवशोधन आदि को इसमें शामिल करने के लिए स्वच्छता की इस संकल्पना को वर्ष 1999 तक बढ़ाया गया । इस प्रकार, समेकित दृष्टिकोण के साथ अब जो संशोधित कार्यक्रम लागू है उसका नाम ग्रामीण समग्र स्वच्छता है तथा इसके सिद्वांत निम्नलिखित हैं:

समग्र स्वच्छता अभियान के सिद्धांत

- मांग संचालित
- समुदाय चालित एवं जन केंद्रित
- अभियानपरक दृष्टिकोण
- आई.ई.सी. पर मुख्य ध्यान
- वैकल्पिक डिलीवरी मैकेनिज़्म (ग्रामीण सैनिटेशन माट्र्स/उत्पादन केन्द्र)
- स्कूल सैनिटेशन तथा साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा देने पर मुख्य ध्यान
- कार्यक्रम में सहकारी समितियों, महिला समूहों, स्वयंसेवी दलों, युवा-मंडलों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं आदि की सहभागिता रखना ।
- सैनिटेशन सुविधाओं के विनिर्माण में लागत हिस्सेदारी ।

समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी), 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 607 जिलों में लागू किया जा रहा है । इसका कुल अनुमोदित परिव्यय 22022.61 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्र, राज्य तथा लाभार्थी/पंचायतों/पीटीए की हिस्सेदारी क्रमशः 14425.83, 5394.43 और 2202.35 करोड़ रुपए है। अभी तक इसमें केंद्र की ओर से 7892.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है । 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार 839 लाख घरों को, शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहयोग मुहैया कराया जा चुका है, 22,975 सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण किया जा चुका है, 11,89,232 स्कूल शौचालय इकाइयां बनाई जा चुकी हैं, 3,97,182 आंगनवाड़ी/बालवाड़ी शौचालय बनाए जा चुके हैं तथा 8,481 ग्रामीण शौचालय माट्र्स/उत्पादन केन्द्र बनाए जा चुके हैं ।

लक्ष्य/परिणाम 2012-13

(i) **2017 तक संपूर्ण घरों की कवरेज सुनिश्चित करना:** जहां तक स्वच्छता का सवाल है, वर्ष 2017 तक देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता अभियान परियोजनाओं के तहत वर्तमान परियोजना उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2012-13 के दौरान, लगभग 80 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सुविधाएं दिए जाने की आशा है।

ग्रामीण भारत में समग्र स्वच्छता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और विशिष्टियों के अनुसार तथा टीएससी के समय पर कार्यान्वयन हेतु, प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय परिसरों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1 जून, 2011 से प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय परिसरों की देय लागत काफी बढ़ा दी है ।

(ii) **2012-13 तक स्कूली कवरेज:** संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में 2012-13 के अंत तक सभी ग्रामीण स्कूलों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है । इस कवरेज में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी स्कूलों को लक्ष्य बनाया गया है जिसके लिए टी.एस.सी. के अंतर्गत निधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं । सभी सह-शिक्षा स्कूलों में, बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे। टी.एस.सी. के अंतर्गत 13.64 लाख शौचालय ब्लॉक पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा अनुमान है कि मार्च, 2013 तक सभी विद्यालयों में शौचालय ब्लॉक बनकर तैयार हो जाएंगे ।

2012-13 के दौरान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के लिए ₹ 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

FOREWORD

As mentioned in my Budget Speech, I see budget 2012-13 as an opportunity to re-think, re-assess and make way for new ideas and policies - for a resurgent India. The aim is to create an enabling atmosphere for a robust growth and to ensure that the benefits reach every last member of our society. This not only broadens the support base for development, it also strengthens the government's ability to ensure "faster, sustainable and more inclusive growth" as envisaged in the Twelfth Five Year Plan.

The UPA government since 2004 has engineered a major directional change in public policy by its focus on improving delivery systems, governance and transparency. Creation of legal entitlements for an individual's right to work has had a positive impact on livelihood security. The right to education and the right to information are effective tools of empowerment for removing social imbalances and effecting transparency. To ensure that the objectives of the National Food Security Bill, 2011 are realized, a Public Distribution System Network is being created using the Aadhar Platform. Further a National Information Utility for the computerization of PDS is being created which will become operational in December, 2012. A multi sectoral programme to address maternal and child nutrition in selected 200 high burden districts is being rolled out during 2012 -13. The total plan expenditure for 2012-13 is ` 521025 crore which is 18% higher than the BE of 2011-12.

Flagship programmes are an integral and critical part of Governments commitment towards inclusive development. While higher outlays for schemes and programmes have been effected, there is also an urgent need to measure outcomes in order to assess the actual effectiveness and impact of government schemes. With the introduction of outcome budgeting from 2005-06 there has been a deliberate shift in focus from outlay to outcomes so that quality of all the schemes are enhanced. Further, a Medium Term Expenditure Framework Statement is being introduced in the Fiscal Responsibility and Budget Management Act which would help in optimum allocation of resources for prioritized schemes and weeding out others that have outlived their utility. This will provide greater certainty in multi-year budgeting framework.

As in past years , a compilation, highlighting the targeted outcomes of the Flagship Programmes of the UPA Government, has been prepared for quick reference. It gives, in brief, targets of projected outcomes, quantifiable deliverables/physical outputs for 2012-13 and the institutional reforms concerning the delivery system of these programmes which are on the anvil. Fuller details would, of course, be available in the individual outcome budget documents, laid by the respective Ministries/Departments.

[Pranab Mukherjee]
Finance Minister

New Delhi
March 27, 2012

TABLE OF CONTENTS

Programme	Demand No.	Page No.
Bharat Nirman		
Rural Electrification	75	1-2
Rural Telephony	14	3
Rural Roads	82	4
Rural Housing	82	5
Drinking Water	84	5
Irrigation	35	6-7
Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission	101	8-10
National Rural Health Mission	46	11-15
Sarva Shiksha Abhiyan	58	16-17
Saakshar Bharat	58	18-19
National Programme of Mid-day Meal Scheme	58	20-23
Integrated Child Development Services	105	24-26
Mahatma Gandhi National Rural EmploymentGuarantee Act	82	27-28
National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	84	29
Total Sanitation Campaign	84	30

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY)

This scheme of rural electricity infrastructure and household electrification has been introduced in April, 2005 for providing access to electricity to all households. Improvement of rural electricity infrastructure is essential to empower rural India and unleash its full growth potential. Rural Electrification Corporation (REC) is the nodal agency for the programme. Under the scheme, projects are financed with 90% capital subsidy for provision of Rural Electricity Distribution Backbone (REDB), creation of Village Electrification Infrastructure (VEI) and Decentralized Distributed Generation (DDG) and Supply. REDB, VEI and DDG would also indirectly facilitate power requirement of agriculture and other activities including irrigation pumpsets, small and medium industries, khadi and village industries, cold chains, health care, education and IT. Under this scheme Below Poverty Line (BPL) households are provided free electricity connections.

Implementation under RGGVY

	Coverage under RGGVY under X and XI Plan	**Bharat Nirman targets under RGGVY by March 2012**	**Cumulative Achievement till 31.12.2011**	**Achievement during 2011-12 upto quarter ending 31.12.2011**
Total villages to be electrified	110416	100000	100917	4355
BPL households covered	230.13 lakh	175 lakh	179.41 lakh	19.61 lakh

Achievements

During 2011-12 upto 31st December, 2011, electrification of 4355 villages and release of connections to 19.61 lakh BPL households has been achieved. Cumulatively, the achievement is electrification of 100917 villages and release of electric connections to 1,79,41,795 BPL households.

Projected outcome for 2012-13

The budgetary allocation is ` 4900 crore for the year 2012-13. The target for 2012-13 is to achieve electrification of 4,800 un-electrified villages and offering electricity connections to around 34 lakh BPL households. This will facilitate rural development, employment generation and poverty alleviation.

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY)

(₹ In Crore)

S. No.	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Outlay 2012-13			Quantifiable Deliverables/ Physical Outputs (2012-13)	Processes/ Timelines	Projected Outcomes	Remarks/ Risk Factors
			Non-Plan Budget	Plan Budget	Complementary Extra Budgetary Resources				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
1	Rajiv Gandhi Grameen VidhyutikaranYojana (RGGVY)	Electrifying all villages and providing access to electricity to all rural households.		**4900**		Electrification of 4,800 un-electrified Villages and offering electricity connections to 34 lakhs BPL households.	Total 578 projects targeting to electrify 1.10 lakh un-electrified villages and release of electricity connections to 230.13 lakh BPL households have been sanctioned for execution. Up to 31.12.2011, the cumulative achievement is 100917 un-electrified villages and release of electricity connections to 179.41 lakh BPL households.	Will facilitate overall rural development, employment generation and poverty alleviation.	The projects are being implemented throughout the country and unexpected events, natural calamities can cause delay.

Rural Telephony

Telecom development in rural areas assumes special significance as more than 70% of India's population lives in villages. There is a strong two-way co-relation between telecom development and overall economic development of a region. Telecom services are important drivers for development, delivery of public services such as education, health etc. and integration of rural areas with the rest of the country.

Amongst the various activities undertaken by the Department of Telecom under Universal Service Obligation (USO), the initial focus was on providing public access. Access to public telephones was through installation of Village Public Telephones (VPT), Rural Community Phones and replacement of Multi Access Radio Relay (MARR) telephones.

Agreements were signed with BSNL in November 2004 to provide subsidy support for provision of VPTs in 62302 number of uncovered villages in the country excluding those villages having population less than 100, those lying in deep forests and those affected with insurgency. The provision of VPTs in these villages has been included as one of activities under Bharat Nirman Programme.

As on 31-01-2012, 62046 i.e. 99.59% VPTs have been provided under this scheme. During 2011-12, 16 VPTs have been provided under the scheme till January 2012. As reported by BSNL, 256 more VPTs are likely to be provided by March 2012.

The rollout of the scheme is expected to be completed within the current financial year 2011-12.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was launched on 25th December, 2000 as a Centrally Sponsored Scheme. The programme seeks to provide connectivity to all eligible unconnected habitations in the rural areas with a population of 500 persons through all-weather roads. In respect of the Hill States (North East, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir) Tribal (Schedule-V) areas and the Desert areas (as identified in the Desert Development Programme), the objective is to connect habitations with a population of 250 persons and above. Last year, the programme guidelines have been amended to extend the coverage under programme to habitations having population of 250 persons and above in Selected Tribal and Backward districts as identified by the Planning Commission/ Ministry of Home Affairs.

The 'rural roads' have been identified as one of the six components of 'Bharat Nirman' with a goal to provide connectivity to all habitations with a population of 1000 persons and above {500 persons and above in the case of hill States or tribal areas (Schedule V)} with all-weather road. The programme also has an 'Upgradation' component with a target to upgrade 1.94 lakh Km of existing rural roads (including 40% renewal of rural roads to be funded by the States) in order to ensure full farm to market connectivity. Based on ground verification by States, a total of 63,940 habitations are targeted to be connected under Bharat Nirman Programme.

During the period 2005-12, an amount of ` 96,613 crore has been made available for the implementation of the programme. Overall, progress of habitations coverage and construction of road works (both for New Connectivity and upgradation) upto December, 2011 under Bharat Nirman is as under:-

	Target	**Achievement (up to Dec. 2011)**
Unconnected habitations to be covered.	63,940	42,249
Road length (in km) to be constructed	1,91,820	1,35,470
Upgradation of existing rural roads (including renewal) (in km)	1,94,130	2,29,296

In addition, projects for connecting 16,126 habitations are at different stages of completion.

The allocation for the year 2011-12 under PMGSY is ` 20,000 crore which includes External Aid (from the World Bank and the Asian Development Bank) of ` 2,211 crore. It is targeted to provide All-weather road connectivity to 4,000 habitations and complete 33,000 Km road length during the current year (2011-12) under PMGSY.

During 2012-13, it is proposed to provide All-weather road connectivity to 5,000 habitations under PMGSY with construction of 40,000 Km of road length.

Rural Housing (Indira Awaas Yojana)

The Indira Awaas Yojana (IAY) is a flagship scheme of the Ministry of Rural Development to provide houses to the poor in rural areas. Financial assistance is provided to shelterless rural BPL households for construction of their dwelling units. The ceiling for construction of a new house is ` 45,000/- per unit in plain areas and ` 48,500/- in hilly/difficult areas.

The grants under the scheme are released by the Centre and States in the ratio of 75:25. However, in the case of North-Eastern States, the funding is shared in the ratio of 90:10 by Centre and the North-Eastern States, respectively. In the case of Union Territories, 100% assistance is provided by the Centre.

At least 60% of the funds available under IAY are required to be utilized for construction of houses for SC/ST BPL families. Similarly, 3% of IAY funds are meant for physically and mentally challenged persons. Since 2006-07, 15% of the funds are being earmarked for coverage of minorities also. Allotment of dwelling unit is usually done in the name of the female member of the beneficiary household.

Since 2005-06, IAY has also become part of 'Bharat Nirman' programme under which 60 lakh houses were envisaged to be constructed through Indira Awaas Yojana in a period of four years from 2005-06 to 2008-09. As Against this target, 71.76 lakh houses were constructed thereby exceeding the target. The physical target for 'Bharat Nirman' Phase-II is for construction of 120 lakh houses over a period of five years starting from the year 2009-10. During the years 2009-10 to 2010-11, 61.01 lakh houses were constructed and for the current year (2011-12), the physical target is for construction of 27.27 lakh houses against which 31.21 lakh houses has been constructed upto January, 2012.

National Rural Drinking Water Programme (please see page No.29)

Accelerated Irrigation Benefits Programme & National Project

The Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) was launched during 1996-97 to give loan assistance to the states to help them complete some of the incomplete major/medium irrigation projects which were in an advanced stage of completion and create additional irrigation potential in the country. The Surface Minor Irrigation Schemes of North-Eastern States, Hilly States of Sikkim, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Koraput, Bolangir and Kalahandi Districts of Orissa have also been provided Central Loan Assistance (CLA) under this programme since 1999-2000. Grant component has been introduced in the programme from April, 2004 like other Central Sector Schemes. As per the existing AIBP criteria effective from December, 2006, grant amounting to 25% of the project cost for major and medium irrigation projects in non-special category States and 90% grant of the project cost for major/ medium/minor irrigation projects in special category States (including undivided Koraput, Bolangir and Kalahandi districts of Orissa) are provided to the selected projects. The minor irrigation schemes in non-special category States falling in drought prone/tribal areas are treated at par with special category States and are released 90% grant of the project cost. Major and medium projects providing irrigation benefit to drought prone/Tribal area and flood prone area are also eligible for 90% grant of the project cost. The State Governments have been provided an amount of ` 51553.253 crores as CLA/Grant under AIBP since inception of this programme till date for 292 major/medium irrigation projects and 13098 Surface minor irrigation schemes. After commencement of this Programme 134 major/medium and 9150 Surface MI Schemes have so far been completed. An additional irrigation potential of 5.486 million hectare has been created through major/medium irrigation projects and an irrigation potential of 0.454 million hectares has been created through Surface MI Schemes upto March, 2009. Irrigation potential of 9.82 lakh hectares has been created during 2009-10 up to March 2010.

As per the prevailing AIBP guidelines, projects benefiting drought prone/tribal area, projects included in the Prime Minister's relief package for agrarian distress districts of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala and projects in the States having irrigation development below national average could be included in AIBP in relaxation to one to one criteria of inclusion of new project under AIBP. Of the 65 major/medium projects initially included in the Prime Minister's relief package for agrarian distressed districts of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra, so far 40 projects have been funded under AIBP. The grant released so far for these projects is ` 5978.915 crore.

A Budget allocation of ` 9750 crore was made by the Ministry of Finance for AIBP for 2011-12 which includes ` 1450 crore for National Projects, against which, an amount of ` 5069 crore has been released as grant under AIBP as on 19.03.2012.

NATIONAL PROJECTS

The Union Cabinet in its meeting held on 7th February 2008 has given its consent to the proposal of the Ministry of Water Resources on Implementation of National Projects with central assistance of 90% of the cost of the project as grant falling in the following selection criteria: -

(i) International projects where usage of water in India is required by a treaty or where planning and early completion of the project is necessary in the interest of the country.

(ii) Inter-State projects which are dragging on due to non-resolution of inter-State issues relating to sharing of costs, rehabilitation, aspects of power production etc., including river interlinking projects.

(iii) Intra-state projects with additional potential of more than 2,00,000 ha. and with no dispute regarding sharing of water and where hydrology is established

Ministry of Water Resources has finalized modalities of funding and guidelines for implementation of scheme of National Projects in consultation with Planning Commission and Ministry of Finance and has sent the same to all the states and Union Territories. So far, three projects, namely Gosikhurd Project of Maharashtra, Shahpur Kandi Project of Punjab and Teesta Barrage Project of West Bengal have been funded under the scheme of National Projects. Gosikhurd Project has been provided grant amounting to ` 2582.94 crore during 2008-09 to 2010-11 till date. Shahpur Kandi Project has been provided grant amounting to ` 26.036 crore during 2009-10 and 2010-11. Teesta Barrage Project started receiving funding under the scheme of national project during 2010-11 and grant amounting to ` 178.50 crore has been provided for the project.

S. No.	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Annual Plan 2012-13	Quantifiable Deliverables/	Processes/ Timelines	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP)	To complete ongoing irrigation/multipurpose projects in advanced stage of construction and which are beyond the resources capability of State Government in a time bound manner with a view to a) create additional irrigation potential and b) derive envisaged benefits from these projects.	` 14,242 crore has been provided for AIBP & other Water Resources Programmes in BE 2012-13	Irrigation potential of 1.2 million hectares is targeted for creation and 10 major/medium projects are targeted for completion.	Irrigation potential of 1.2 million hectares to be created and 10 major/ medium projects to be completed.	The projects included in the AIBP are to be executed by respective State Government.

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)

The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal (JNNURM) launched in 2005-06 to encourage cities to initiate steps to bring about improvement in the existing civic services levels in a sustainable manner. JNNURM consists of two Sub-Mission.

I. Urban Infrastructure and Governance

II. Basic Services to the Urban Poor

Ministry of Urban Development is concerned with Urban Infrastructure and Development (UID) and Urban Infrastructure and Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT). The two sub-mission, Basic Services for Urban Poor (BSUP) and Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP) are dealt by M/o Housing and Urban Poverty Alleviation

I. Urban Infrastructure and Governance

The components under the sub-Mission Urban Infrastructure & Governance (UIG) include urban renewal, water supply (including desalination plants), sanitation, sewerage and solid waste management, urban transport, development of heritage areas, preservation of water bodies, etc. The allocation for 2012-13 under JNNURM (UIG) is ` 6340 crore and for UIDSSMT is ` 2110 crore.

The Mission follows two track strategies:-

(i) Track I consists of the main Mission (JNNURM) for integrated development in 65 identified cities.

(ii) Track II consists of UIDSSMT and IHSDP for catering to other cities.

To avail of the assistance under UIG, cities have to prepare City Development Plans (CDPs), prepare Detailed Project Reports (DPRs) and State Governments and Urban Local Bodies have to sign Tripartite Memorandum of Agreement (MoA) with Central Government. The MoA should indicate commitments and Milestones to be achieved in the implementation of reforms at the State & ULB levels.

Financing Pattern under UIG

Depending upon population, geographical location of the cities and category to which a city belongs, funds are provided as indicated below :-

Category of Cities	Central Share (Grant)	State/ULB/Parastatal share, including beneficiary contribution
Cities with 4 million plus population as per 2001 Census	35%	65%
Cities with million plus but less than 4 million population as per 2001 census	50%	50%
Cities/towns in North Eastern States and J & K	90%	10%
Other Cities	80%	20%

Under UIDSSMT, the pattern of funding is 80:10:10 with Central share being 80% and State & ULB share being 10% each. In case of North East and J&K, the pattern of funding is 90:10 with 90% being Government of India Share 10% being State Share. The funds are released by Govt. of India in two installments

DETAILS OF PROGRESS UNDER 'UIG' AND 'UIDSSMT' SINCE THE INCEPTION OF JNNURM

Cumulative (up to 31.01.2012) from 2005-2006

S. No.	Items	UIG	UIDSSMT
1.	Number of projects approved	546	787
2.	Total approved Project Cost	₹ 61,156.98 Crore	₹ 13,567.55 Crore
3.	Total of States/UTs for which projects approved (out of 31 States/UTs)	31	31
4.	Number of cities for which projects approved	65	660
5.	Total ACA committed	₹ 28,299.22 Crore	₹ 10,886.52 Crore
6.	ACA committed (for Buses)	₹ 2,088.00 Crore	
7.	Central Share (ACA) released	₹ 15,677.14 Crore	₹ 8,209.63 Crore

OUTCOMES (UIG & UIDSSMT)

- 65 Mission cities have prepared comprehensive City Development Plans, charting out their long-term visions, and goals in urban governance and development. These plans also include investment plans, with a focus on provision of city-wide urban infrastructure services such as water supply, sanitation, drainage and provision of basic services to the urban poor.
- The Memorandum of Agreement in respect of the reforms agenda to be undertaken by States & Cities has been negotiated and signed with 65 Mission cities.
- By 31st January, 2012, 126 numbers of projects related to water supply, Roads Flyovers/RoB, Drainage/Storm water Drains, Sewerage, Urban Renewal, Solid Waste Management were completed under UIG, and 142 numbers of projects related to Water Supply, Solid Waste Management, Storm Water Drainage, Urban Renewal, Water Bodies and Road sectors were completed under UIDSSMT. These projects aim at provision of better water supply, improved road networks, better drainage and sewerage system etc.

II. Basic Services to Urban Poor (BSUP)

The Sub-Mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP) under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and the Integrated Housing and Slum Development Programme under JNNURM were launched for the integrated development of housing and basic services to slum dwellers. Central assistance under BSUP and IHSDP is provided to States for implementation of the projects approved by the Central Sanctioning & Monitoring Committee (for BSUP) and Central Sanctioning Committee (for IHSDP). Central share in the form of Additional Central Assistance is released from Ministry of Finance (to States) and Ministry of Home Affairs (to Union Territories). Since the inception of JNNURM in December, 2005 and upto 6.3.2012, a total of 1524 projects have been approved under BSUP and IHSDP. On completion of these projects 1572780 dwelling units would be constructed. As on 6.3.2012, 572250 houses have been completed and 380117 dwelling units are in progress. Out of the total BE of `3928.80 crore (excluding ` 4.00 crore for which break-up between JNNURM and RAY has not been received from MHA) for BSUP and IHSDP together for the financial year 2011-12, ` 2541.17 crore have been approved for release as on 6.3.2012. During the same period Central assistance to the tune of ` 1502.84 crore has been released to the States and Union Territories.

Funding

The Central fund is released as Additional Central Assistance (in the form of grant). The financing of the projects is as under:

Category of Cities	Central Share (Grant)	State/ULB/ Parastatal share, including Beneficiary contribution
Cities with 4 million plus population as per 2001 Census	50%	50%
Cities with million plus but less than 4 million population as per 2001 census	50%	50%
Cities/towns in North Eastern States and J&K	90%	10%
Other Cities	80%	20%

The sharing of funds under IHSDP is in the ratio of 80:20 between Central Government and State Government/ULB/Parastatals. For special category States, the funding pattern between Centre and States will be in the ratio of 90:10. The Central fund is released as Additional Central Assistance (grant). As in the case of BSUP, signing of a tripartite MOA is a necessary condition for accessing Central assistance.

Beneficiaries under BSUP and IHSDP

The targeted beneficiaries under BSUP and IHSDP are slum dwellers/urban poor. While a minimum 12% beneficiary contribution is stipulated under BSUP and IHSDP, in the case of SC/ST/OBC and other weaker sections it is 10%.

The Budget allocation made for 2012-13 is ` 3000.00 crore (` 2100.00 crore under BSUP and ` 900.00 crore under IHSDP)

Details of progress under BSUP and IHSDP

1. During FY 2010-11 (from 1.4.2010 to 31.3.2011) :

		BSUP	IHSDP
1.	No. of projects approved	26	74
2.	Total project cost approved	₹ 2995.94 crore	₹ 1177.17 crore
3.	No. of DUs approved for Construction / upgradation	62036	38825
4.	Central share released (Total inclusive PMU, PIU, etc.)	₹ 1925.63 crore	₹ 879.96 crore
5.	States covered	5	9
6.	Cities covered	8	69

2. Performance as on 6.3.2012 during 2011-12:

		BSUP	IHSDP
1.	No. of projects approved	18	48
2.	Total project cost approved	₹ 1319.44 crore	₹ 874.50 crore
3.	No. of DUs approved for Construction / upgradation	27866	33562
4.	Central share released (Total inclusive PMU, PIU, etc.)	₹ 978.46 crore	₹ 542.38 crore
5.	States covered	8	6
6.	Cities covered	11	46

National Rural Health Mission (NRHM)

Goals and Strategy

The National Rural Health Mission, launched in April, 2005 aims to provide accessible, affordable and accountable quality services to the rural poor. The objectives of the Mission include reduction in child and maternal mortality, universal access to public healthcare services, prevention and control of communicable and non-communicable diseases, population stabilization, revitalization of local health traditions, mainstreaming AYUSH and promotion of healthy life style. Inter-sectoral convergence with Departments like AYUSH, AIDS Control, Drinking Water and Sanitation, Women and Child Development, Elementary Education and Labour will be ensured.

The thrust of the Mission is on establishing a fully functional, community owned, decentralized health delivery system with inter-sectoral convergence at all levels. From a disease centric approach, the NRHM attempts to shift the focus to a functional health system. Framework for implementation of NRHM provides for display of citizen charter in health facilities. The Mission intends to achieve the targets set in the National Health Policy 2002 as well as the targets for the Twelfth Five Year Plan and achieve the Millennium Development Goals.

NRHM Goals for the Twelfth Five Year Plan

In the 12th Five Year Plan period, efforts will be made to consolidate the gains and build on the successes of the Mission in the 11th Plan to provide accessible, affordable and quality universal health care, both preventive and curative, which would include all aspects of a clearly defined set of healthcare entitlements including preventive, primary and secondary health services. State specific targets will be set for reduction of IMR, MMR, TFR and disease prevalence. In case of IMR, target for each State will be to reduce IMR by 40% and MMR by 55% over the 5 year period of 12th Plan. Similarly for TFR and disease control programs, state specific targets will be set in the MoU to be signed with the States. At the National level, the targets would be as under:

a. Reduction of MMR to < 100 per 100000 live births.

b. Reducing IMR to < 27 per 1000 live births.

c. Reduction in NMR to < 18 per 1000 live births

d. Reducing TFR to 2.1

e. Elimination of Filaria – in all 250 districts; Kala-azar in all 514 Blocks and Leprosy in all districts.

f. Reduction in TB prevalence and mortality by 50%

g. Reduction in Annual Malaria incidence to <1/1000 pop.

h. Reduction in JE mortality by 50%

i. Sustaining case fatality rate of less than 1% for Dengue.

In addition, the following service delivery goals will be set for the 12th Five Year Plan:

a. Over 80% institutional delivery in high focus states and over 95% in non high focus states and 100% safe delivery in all states.

b. Over 80% Immunisation in all states with over 95% immunisation in non high focus states.

c. Over 90% antenatal and post natal care in all states with 100% in non high focus states.

d. Emergency obstetric care rate of over 50% to be provided in a cashless manner (15% of all pregnancies can be expected to have complications and the number of complications managed is the met emergency obstetric care rate).

e. Universal access to safe abortion services

f. Meeting the unmet need for contraception with equal emphasis on spacing and limiting methods

Over the last six years, NRHM has led to increase in outpatient cases, inpatient cases, institutional deliveries, availability of referral transport, presence of community health worker in larger number of villages, better availability of drugs and diagnostics. A large number of contractual manpower including doctors, specialists, and staff nurses, Auxiliary Nurse Midwife etc. have been added to augment human resources in health facilities at different levels. It has successfully set up institutions for communitisation and is engaged in the process of making them more vibrant and effective government institutions.

Reproductive and Child Health (RCH-II) aims to reduce Maternal Mortality Ratio, the Infant Mortality Rate and Total Fertility Rate. In order to promote institutional deliveries, Janani Suraksha Yojana (JSY) as a safe motherhood intervention, aims at promoting institutional delivery among the poor pregnant women with special dispensation for states having low institutional delivery rates. ASHAs (Accredited Social Health Activist) or community health volunteers are being given basic training to promote home-based care. Training Module 7 of ASHA includes training on various nutritional aspects.

Regular flow of data is being captured under the Health Management Information System (HMIS) to facilitate capturing vital information both in terms of available infrastructure, demographic and disease programme details. A system of name based tracking of pregnant mothers and children has been introduced in States which will help in ascertaining the status of ante-natal care, post-natal care and immunization of pregnant mothers and children. Sample Registration System and Annual Health Surveys conducted by RGI gives information on outcome parameters. Periodic District Level Health Surveys are also in place.

District hospitals will be taken up in the first phase for development as District Knowledge Centres and the States will be advised accordingly.

As per the plan document of Eleventh Plan, the total outlay for NRHM was ` 90558 crore for 11th plan period. The outlay for NRHM during 2011-12 was ` 17840 crore. For annual plan 2012-13, an amount of ` 20542 crore has been allocated for NRHM. The expenditure incurred under the Flagship Programme "NRHM" is as per the details below:

Year	Expenditure (` crore)	
2005-06	6284.58	
2006-07	7486.62	
2007-08	10380.40	
2008-09	11239.33	
2009-10	13305.76	
2010-11	14696.77	
2011-12	12232.08 crore	(Provisional -as on 3rd February, 2012)

The budgetary provisions for 2012-13 (as indicated in brackets), achievements based on latest information against targets set for 2011-12 under the different components of the Mission are given below:

Mission Flexi Pool (` 5851 crore) seeks to strengthen the institutional structure and provide an effective link between the community and health care facilities at the grass root level. Selection and training of Accredited Social Health Activists (ASHA) acting as a link is critical. ASHAs are paid based on incentives. As on September 2011, 8.55 lakh Accredited Social Health Activists (ASHA) have been selected in the country of which over 8.07 lakh received training up to 1st Module, 7.36 lakh in Module II, 7.13 lakh in Module III, 6.9 lakh in Module IV, 5.73 lakh in Module V, 0.93 lakh in Module VI and 0.92 lakh in Module VII. Over 7.41 lakh ASHAs have been positioned after training and provided with drug kits. Rogi Kalyan Samitis have been established in 694 District Hospitals, 4835 Community Health Centres, 990 facilities other than CHCs, 17028 Primary Health Centres and 6402 facilities below block level and above SCs.

Mobile Medical Units are operational in 442 districts. 1.47 lakh Sub-Centres (RHS 2010) have been made more effective through utilization of untied funds, availability of drugs and Auxiliary Nurses Midwives (ANMs). ANMs provide primarily maternal and child health services within sub-centres as well as outreach services. 8330 PHCs are functioning as 24X7 basis. To fill up the gap of Human Resources at various health facilities in rural areas, 8630 Doctors, 3028 Specialists, 32860 Staff Nurses, 14434 Paramedics, 66784 ANMs, 10851 AYUSH Doctors and 3855 AYUSH Paramedics were appointed on contract.

2. Pulse Polio Immunization Programme (` 805 crore) aims at eradication of polio. The year 2010 has been a landmark in polio eradication with introduction of bivalent vaccine (bOPV) in the country. The number of polio case decreased to 1 as compared to 42 cases in 2010. This is the lowest number of polio cases ever reported in the country since beginning of the polio eradication programme. In 2011, two National Immunization Days (NIDs) and seven Sub-National Immunization Days (SNIDs) have been conducted. The NID rounds covers approximately 17.2 crore children and SNID rounds cover 5 crore children. In addition, large scale multi-district mop-ups have been conducted in response to detection of wild type poliovirus cases.

3. Routine Immunization (` 800 crore) aims at reduction in morbidity and mortality due to vaccine preventable diseases. As per Health Management Information System (HMIS) reports for 2011-12 (up to January 2012), the achievements are:- BCG-69%,Measles-64.2%,DPT3-63.4%andOPV-60.4%. In addition Hepatitis B vaccine has been expanded and measles 2nd dose has been added to the immunization throughout the country. Campaigning for Japanese Encephalitis (JE) vaccination has been completed in 112 districts and is now incorporated under Routine Immunisation.

4. Reproductive Child Health Flexible Pool (` 4938.51 crore) aims at operational support to States for institutional strengthening and effectively designing programmes for reducing Maternal Mortality Ratio, Infant Mortality Rate (IMR) and Total Fertility Rate (TFR). Under Janani Suraksha Yojana, cash assistance has been provided to 106.96 lakh beneficiaries in 2010-11 and 73.20 lakh beneficiaries in 2011-12 (up to December 2011).

5. Information, Education and Communication (` 230 crore): Attention has been given to the communication strategy to achieve behavioural change through multimedia with focused interaction within target groups. Main activities include branding of NRHM through TV & Radio, effective use of satellite and private channels, use of innovative IEC strategies at State and District levels, NRHM Newsletter and introduction of intra-communication model for effective communication.

6. Infrastructure Maintenance (` 4928 crore): Under Infrastructure Maintenance, the Grants in Aid is released to States/UTs for the Schemes (i) Direction & Administration (State & District FW Bureau), (ii)

Maintenance of sub-centres (salary of ANM/LHV), (iii) Urban Family Welfare Centres, (iv) Urban Revamping Scheme (Health Posts), (v) Training of ANM/LHVs, (vi) Maintenance & Strengthening of Health & FW Training Centres (HFWTCs), and (vii) Training of MPWs (Male).

7. Disease Control Programmes

(a) National Vector Borne Diseases Control Programme (` 572 crore)

Malaria- The malaria endemic areas are located in North Eastern States, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, West Bengal and Karnataka. During 2011, 1.28 million cases with 463 deaths have been reported till October, 2011. 28% reduction in morbidity and 73% reduction in mortality due to Malaria have been achieved in 2011 in comparison with base year 2006. Various steps have been taken to reduce incidence of Malaria, which includes improved access to rapid diagnosis and treatment in remote and inaccessible areas, malaria transmission risk reduction by use of insecticide treated bed nets, long lasting insecticidal bed nets and greater awareness about malaria control through community participation.

Lymphatic Filariasis – To achieve elimination of Lymphatic Filariasis, Annual Mass Drug Administration was launched in Filaria endemic States and UTs. During 2010, Mass Drug Administration (MDA) round has been observed in 18 States/UTs except Tamil Nadu and West Bengal with co-administration of DEC with Albendazole. The coverage achieved in these States for MDA was 84% against the targeted population. During 2011, anti-filarial drugs were decentralized by GOI in March 2011.

Japanese Encephalitis – During 2010, 5167 cases of AES and 679 deaths were reported. During 2011, 7871 cases of AES and 1137 deaths have been reported. Out of this, JE cases in 2010 were 555 with 112 deaths whereas in 2011, JE cases were 1171 and 182 deaths. To reduce frequency of outbreaks and Case Fatality Rate (CFR), diagnostic facilities have been strengthened by establishing sentinel surveillance laboratories and Apex Referral laboratories.

Dengue/ Chikungunya – In 2010, 28292 dengue fever cases and 110 deaths were reported. During 2011 (upto November) 13910 dengue fever cases and 93 deaths have been reported. During 2011, 18026 cases of Chikungunya fever have been reported as compared to 48176 cases of Chikungunya fever cases during 2010. To reduce frequency of outbreaks of Dengue/ Chikungunya and Case Fatality Rate (CFR), diagnostic facilities have been increased from 170 Sentinel Surveillance Hospitals (SSH) to 311 which are linked to 14 Apex Referral Laboratories.

Kala-azar – Kala-azar is endemic in 52 districts of four endemic States of Bihar, Jharkhand, West Bengal and Uttar Pradesh. During 2011 (provisional), 33043 cases and 80 deaths have been reported as against 29000 cases and 105 deaths reported in 2010. Intensified efforts were made to detect new cases of Kala-azar and to complete their treatment.

b) National Leprosy Eradication Programme (` 51.0 crore)

32 States/UTs have already achieved elimination (i.e achievement of prevalence rate less than 1 case per 10,000 populations) of Leprosy. The recorded Prevalence Rate reduced to 0.69/10,000 population in March 2011 as against 0.95/10,000 population in December 2005.

In three States /UT viz. Bihar, Chhattisgarh and Dadra & Nagar Haveli the prevalent rate is more than 1 case per 10000 population. Annual New case Detection Rate (ANCDR/100,000 population) has also come down to the 10.48 as on 31st March 2011. The number of institutions providing Re-constructive Surgery (RCS) services has increased to 87 by inclusion of more medical college /district hospitals and involving NGOs.

(c) National TB Control Programme (` 710.15 crore)

Since the programme was initiated, nearly 1.24 million patients were initiated on treatment, thus saving more than 2.2 million additional lives. TB mortality in the country has reduced from over 42/lakh population in 1990 to 23/lakh population in 2009 as per the WHO global report 2010. The prevalence of TB in the country has reduced by 67% from 568/lakh population in 1990 to 185/lakh population.

During 2010-11, the programme has achieved the new sputum positive case detection rate of 71% and treatment success rate of 87% which is in line with the global targets for TB control. During the period April 2011 to September 2011, the percentage of smear positive TB cases initiated on RNTCP DOTS treatment was 97%, new smear positive case detection rate was 76%, the 3 month conversion rate of new smear positive patients was 90% and the cure rate of new sputum positive patients was 85%, resulting in the achievement of the respective outcome targets of 2011-12.

(d) Integrated Disease Surveillance Programme (` 63 crore)

Surveillance Units have been established in all States/UTs, thus the whole country is covered by IDSP. A total of 1602 outbreaks were reported and responded to by states in 2011. All the activities presently being undertaken under IDSP are proposed to be continued as "Disease Surveillance and Response Programme (DSRP)" during the 12th Five Year Plan (2012-17) with domestic budget.

(e) National Programme for Control of Blindness (` 290 crore)

During 2011-12 (upto December 2011), 24.58 lakh cataract surgeries were performed and 0.46 lakh other eye diseases treated. 1.29 lakh free spectacles provided to school children with refractive errors, 15,649 donated eyes collected for corneal implantation.

New schemes

A new scheme for strengthening district hospitals for providing advanced secondary care is initiated in the Twelfth plan. Another new scheme initiated in Twelfth plan is to provide free generic medicines in all public health institutions in the country.

Projected outputs for 2012-13 (to be achieved by March 2013)

- 1 lakh ASHA to be equipped with drug kits.
- 6400 ANMs to be provided in all the sub centres identified for institutional deliveries.
- Construction of 800 new Sub centres across the country.
- 500 Primary Health Centres to be made operationalised on 24X7 basis.
- 200 CHCs and other level facilities to be upgraded as First Referral Units.
- 900 Doctors/Specialists, 900 Staff Nurses, 900 Paramedical Staff to be recruited on contract basis.
- 100% Health facilities to be given untied funds and annual maintenance grants.
- Mobile medical Units (MMUs) to be operationalised in 50 more districts.
- 400 EMRI vehicles to be operationalised across the country.
- 55 lakh Village Health and Nutrition Days (VHNDs) to be organised in the entire country.

Sarva Shiksha Abhiyan

Elementary Education is the most important sub-sector of the education system, laying the foundations of the education edifice. The goal of universal elementary education, encompassing universal access and retention, bridging of gender and social category gaps, and improvement in the quality of education, was sought to be achieved through the country's flagship programme , Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), launched in 2001-02. Over the years, SSA has contributed significantly to universalisation of access and bridging of gender and social category gaps in elementary education sector.

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 became operational from 01.04.2010 to make elementary education a fundamental right of all children in the 6-14 age group.

Pursuant to the RTE Act becoming operational, the Government revised the SSA norms/Framework to align with the provisions of the RTE Act. With the enactment of RTE, the fund sharing pattern between the Centre and State has also been revised.

- In the 11th Plan the prescribed funding pattern under SSA was on a tapering scale of 65:35 for the first two years of Plan, 60:40 for the third year, 55:45 for the fourth year and 50:50 thereafter. In respect of the NER States the sharing was in the 90:10 ratio
- Taking into account the felt needs of the RTE Act, the Government revised the fund sharing pattern from the sliding scale ratio to a fixed share in the 65:35 ratio with effect from 2010-11. The sharing pattern for the NER states continued in the 90:10 ratio.

For the implementation of the RTE Act, Government approved an outlay for SSA for the 11th Plan period was ` 71,000 crore. However, on account of the requirements arising out of implementation of the RTE Act, the Government approved an outlay of ` 2,31,233 crore for the combined RTE-SSA programme for a five year period from 2010-11 to 2014-15 to be shared between the Central and State Government in the 65:35 ratio (90:10 for NER). This outlay of ` 2,31,233 crore is supported by Grant-in-Aid of ` 24,068 crore awarded by the 13th Finance Commission to the States during 5 year period 2010-11 to 2014-15.

An allocation of ` 25,555 crore has been provided for the RTE-SSA programme for 2012-13 and the objective / outcome is as below:

Objective/ Outcome	**Quantifiable Deliverables/ physical outputs**	**Projected outcomes**
Improving access, enrolment, retention and quality of elementary education.	• Opening of 5000 primary schools & 10000 upper primary schools. • Recruitment of 1.0 lakh teachers. • Construction of 1.0 lakh additional classrooms.	• Improved access to girls, SC, ST, OBC and minorities. • 5%age points reduction in primary drop-out rates from current level of 28.9% • 5%age points increase in Upper Primary GER from current level of 81.2% • Improvement in learning achievement of boys and girls as per NCERT's Learning Assessment Survey

(a) Financial Progress:

(₹ in crore)

Xth Plan Central Outlay	Central Expenditure
17000.00	27896.25

(₹ in crore)

XIth Plan Outlay	BE 2010-11 (Central Share)	Expenditure incurred Central Share & State Share during 2010-11	BE 2011-12 (Central Share)	Expenditure incurred Central Share & State Share during 2011-12	BE 2012-13 (Central Share)
Central Share 71000**	15000.00	19636.90	21000.00	19103.22*	25555.00
State Share 49000	+ 4000 (Supplementary grant)	+ 11716.91		+ 8499.89#	

* upto Jan, 2012, #Dec, 2011

** ₹ 2,31,233 cr. for RTE-SSA for the period 2010-11 to 2014-15.

(b) Cumulative Targets and Achievements 2011-2012

Sl. No.	Items	Achievement (upto 30.09.2011)	
1.	Opening of Schools	Opened	333458
2.	Construction of School buildings	Completed and in Progress	267209
3.	Construction of additional classrooms	Completed and in Progress	1410937
4.	Drinking water facilities	Completed and in Progress	212233
5.	Construction of Toilets	Completed and in Progress	477263
6.	Supply of Free Textbooks	Supplied	8.77 crore
7.	Teacher appointment	Completed	12.24 lakh
8.	Teacher training (20 days)	Completed	19.23 lakh

Out of a cumulative target of 388157 Schools to be opened, 333458 have been opened. Against a target of 299808 school buildings to be constructed, a figure of 267209 has been achieved. Drinking water facilities have been provided in 212233 schools against a target of 220953.

In the area of opening of schools, provision of school infrastructure and Drinking Water Facilities, the overall cumulative performance is more than 85%. In respect of teachers' recruitment, some 3.28 lakhs posts of teachers were sanctioned upto October, 2010 and 1.75 lakh in 2011-12 only. These are anticipated to be filled up shortly.

Saakshar Bharat

It was on 4th June, 2009 that the Government had announced its decision to recast the National Literacy Mission. Saakshar Bharat, new variant of NLM has been launched by the Prime Minister on 8th September, 2009. It has been operationalised w.e.f. 1st October, 2009. Saakshar Bharat has adopted volunteer based approach to impart basic literacy to (i) achieve 80% literacy by the end of XI Plan, (ii) to minimize regional disparities in literacy and (iii) to reduce gender gap in literacy.

Saakshar Bharat will confine to the districts having adult female literacy rate of 50% or less, as per Census of 2001. So far, 410 districts covered under the criteria have been identified in 25 States and one UT including 35 districts affected with worst left wing extremism irrespective of their adult female literacy rate. Prime focus of Saakshar Bharat is on women but the programme does not exclude men from its ambit.

The programme was operationalized within a period of six months from the decision of the Government to make every women in the country literate i.e. by December, 2009. In view of the 73rd Constitutional amendment, Saakshar Bharat has to be implemented through Panchayati Raj Institutions. It has also been decided to implement the programme during the 11th Plan period in a phased manner. Accordingly, the Mission has been rolled out in 372 districts in 19 States, covering over 161,993 Gram Panchayats. In all, 7.58 crore non-literate adults are expected to be benefited in these districts.

The Total 11th Plan outlay of the scheme is ` 5257 crore. Budget Allocation for the year 2012-13 at BE stage is ` 590 crore. The Government of India's share of expenditure during the XI Plan period has been:

- 2009-10 ` 333.89 crore
- 2010-11 ` 370.68 crore
- 2011-12 (upto 31.12.2011) ` 430.16 crore.

For smooth and effective implementation and monitoring, Saakshar Bharat provides for:

- Constitution of Saaksharata Samities at Gram Panchayat, Block and District level, apart from SLMA at state level
- Opening of one Saving Bank account at state (SLMA) level and subsidiary accounts at District, Block and Gram Panchayat level;
- Auto swift of balance in the account to the fixed deposit to earn high interest rate.
- A household survey is required to be conducted by the States to identify the potential learners
- Apart from identifying the potential learners, the States are also required to identify the voluntary teachers for conducting the literacy class, batch matching during the survey.
- Merger of erstwhile Nodal Continuing Education Centers (NCECs)/Continuing Education Centers (CECs) to establish one AEC in each Gram Panchayat.
- Setting up of new AEC, where there was no NCECs/CECs under the erstwhile CE programme.

Saakshar Bharat programme provides funds for setting up of at least one Adult Education Centre in each Gram Panchayat of the areas covered under the programme. In 372 districts covered so far, 90,193 Adult Education Centres have been set up in as many GPs to provide continuing education facilities like

literacy, reading room, providing awareness and short duration programmes for improvement of the living and working conditions of the adults of the rural areas in these Panchayats. Literacy classes are also being organised in some of the Adult Education Centres.

A customized web based system for Planning, Monitoring & Impact Analysis has been developed for Saakshar Bharat which facilitates physical and financial planning, monitoring, reviewing the progress and evaluating the impact of the Mission from the grass root level. As a part of the System, a public portal has also been developed through which the information regarding the Scheme and its implementation in States at various levels is disseminated to citizens. The Mission has devised a comprehensive, transparent, financial management system that enhances accountability, ensured uninterrupted availability of funds, facilitated regulation and robust monitoring of the flow of resources and their utilization by the implementing agencies. There is interface with the banks to obtain real time expenditure so that movement of funds can be tracked at each successive stage starting with the initial release from the NLMA till its utilization for the intended purpose at the ground level.

National Programme of Mid Day Meal in Schools

The National Programme of Mid Day Meal in Schools, popularly known as Mid Day Meal Scheme covers all children studying in Classes I-VIII in Government, Government-aided and Local Body Schools and Education Guarantee Scheme (EGS) and Alternative and Innovative Education (AIE) centers supported under SSA, including Madarsas and Maqtabs as well as children under National Child Labour Projects (NCLP). Mid Day Meal has a significant impact on enrolment and attendance of children. It also acts as a regular source of "supplementary nutrition" for children, and facilitates their healthy growth. Mid day meal can also help spread egalitarian values, as children from various social backgrounds learn to sit together and share a common meal. In particular, mid day meal can help to break the barriers of caste and class among children in school. The gender gap in school participation can also be narrowed, as the programme helps erode the barriers that prevent girls from going to school.

A comprehensive and elaborate mechanism for monitoring and supervision of the scheme has been put in place. Under this system representatives of Gram Panchayats/ Gram Sabhas, members of Village Education Committees, Parent Teacher Associations as well as Mothers' Committees are required to monitor the (i) regularity and wholesomeness of the mid day meal served to children, (ii) cleanliness in cooking and serving of the mid day meal, (iii) timeliness in procurement of good quality ingredients, fuel, etc, (iv) implementation of varied menu, (v) social and gender equity. Officers of the State Government/ UTs are also required to inspect schools and centers where the programme is being implemented, Quarterly assessment of the implementation of the scheme including review of the progress, monitoring of the Scheme by Review Missions, Regional Workshops and National Review meetings are held on a regular basis. It has been decided that 25% of primary schools/ EGS & AIE centers are to be visited every quarter. Forty One Institutions of Social Science Research have been assigned the responsibility of monitoring the Mid Day Meal scheme.

The total Plan Outlay for 11th Five Year Plan was ₹48,000 crore. Budget Allocation for the year 2011-12 at BE stage is ₹ 10380.00 crore.

Components of Central Assistance:

Presently, Mid Day Meal Scheme provides the following assistance to State Governments/UT Administrations:

(i) Supply of food grains (wheat/rice) @100 grams per child per school day for primary & @150 gram per child per school day for upper primary from the nearest FCI go-down.

(ii) Transportation Assistance, to lift the food grains from the FCI godown and deliver it to schools, in the 11 Special Category States (viz. Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Uttarakhand and Tripura) is being provided w.e.f 1.4.2010 at par with the PDS rates prevalent in these States. In other States/UTs, Food grain Transport Assistance is reimbursed at actual cost from nearest FCI go down to the school subject to the ceiling of ₹75/- per quintal.

(iii) Cooking cost has been revised from 1.4.2011. The cooking cost is being shared between the Centre and the NER States on 90:10 basis and with other States/ UTs on 75:25 basis. Accordingly, the share of the Centre and the minimum share of the State/UTs has become as under:

For the year 2011-2012

Stage	Total cooking cost per meal	Centre-State sharing			
		Non-NER States (75:25)		NER States (90:10)	
		Centre	State	Centre	State
Primary	₹ 2.89	₹ 2.17	₹ 0.72	₹ 2.60	₹ 0.29
Upper Primary	₹ 4.33	₹ 3.25	₹ 1.08	₹ 3.90	₹ 0.43

Cooking cost includes costs of pulses, vegetables, cooking oil and condiments, fuel etc.

(iv) The Central Assistance for construction of kitchen-cum-store per school across the country from 1.12.2009 is being provided on the basis of plinth area norms and State Schedule of Rates (SSR) prevalent in the State/UT. The cost of construction of Kitchen-cum-stores is to be shared between the Centre and the NER States on 90:10 basis and with other States/UT on 75:25 basis. It has been prescribed that 20 sq.mt. plinth area for construction of Kitchen-cum-Store in schools having up to 100 children. For every additional up to 100 children, additional 4 sq.mt. plinth area will be added. States/UTs have the flexibility to modify the slab of 100 children depending upon the local conditions.

(v) Assistance for procurement of kitchen devices at an average cost of ₹ 5,000 per school. Kitchen devices include:

(a) Cooking devices (Stove, Chulha, etc)

(b) Containers for storage of food grains and other ingredients

(c) Utensils for cooking and serving.

(vi) Honorarium @ ₹ 1000 per month from 1.12.2009 to cook-cum-helper is being provided and engagement of one cook-cum-helper for schools up to 25 students, two cooks-cum-helpers for schools with 26 to 100 students and one additional cook-cum-helper for every addition of up to 100 students. The expenditure towards the honorarium of cook-cum-helper is to be shared between the Centre and the NER States on 90:10 basis and with other States/UTs on 75:25 basis.

(vii) Assistance for Management, Monitoring & Evaluation (MME) is provided to the States/UT Administrations under the Scheme @ 1.8% of the total assistance for (a) cost of food grains, (b) transportation cost of food grains (c) cooking cost and (d) honorarium to cook-cum-helpers. 0.2% of the total assistance for (a) cost of food grains, (b) transportation cost (c) cooking cost and (d) honorarium to cook-cum-helpers is utilized at the National level for MME purposes.

The objective/outcome, Quantifiable Deliverables/ Physical Output and projected outcomes are as below:-

Objective/Outcome	Quantifiable Deliverables/ Physical Outputs	Projected Outcomes
Implementation of the programme for children of elementary stage (classes I to VIII) studying in Govt., local body & Govt. aided schools, EGS/AIE Centers and recognized Madaras and Maqtabs as well as children of National Child Labour Projects and serving mid day meal during summer vacations in drought affected areas with the following objectives: - (i) To improve nutritional status of children. (ia) To encourage poor children, belonging to disadvantaged sections, to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities. (ib) To provide nutritional support to children of primary stage in drought-affected areas during summer vacation. (ii) Engagement of cook-cum-helpers (iii) Creation of capital assets. iv) To develop web enabled Management Information System embedded with Inter-active Voice Recording System (IVRS) v) Involvement of communities in implementation and monitoring. vi) Training and Capacity building vii) Advertisement and publicity	(i) Regular provision of cooked mid-day meal to 11.07 Crore Children (7.63 crore at Primary level and 3.40 crore at Upper Primary level and 3.87 lakh in NCLP Schools) in Govt. and Govt.-aided elementary schools and EGS/ AIE Centers including recognized Madrassas and Maqtabs as well as children of National Child Labour Projects. (ii) Employment generation for the socially and economically weaker section particularly the women. (iiia) Construction of Kitchen-cum-Store in 8.71 lakh schools has been sanctioned from 2006-07 to 2010-11. Out of these 5.01 lakh has been constructed and construction in 1.29 lakh Kitchen sheds are in progress. (iiib) Procurement of kitchen devices in 11.31 lakh school has been sanctioned from 2006-07 to 2010-11. Out of these, Kitchen Devices have been procured in 10.18 lakh schools upto 30.06.2011. (iv) Roll out of MIS integration with IVRS to monitor the Scheme by 31st March, 2012. v) Transparency and accountability. vi) Trained and efficient man power. vii) Development of film, radio jingles, posters and booklets on MDM	Regular provision of cooked mid-day meal to all children in classes I-VIII in Govt. and Govt.-aided elementary schools and EGS/AIE Centers including recognized Madrassas and Maqtabs as well as children of National Child Labour Projects, in a hygienic situation so that nutritional status of children is improved. (ii) Nutritious and hot cooked meal in the school premises will be served. (iiia) Safe cooking and storage of foodgrains in the school mitigating untoward incidents during cooking in the school and reducing chances of pilferage and pest infestation. (iiib) Preparation and serving of meal to the children with hygiene and safety. (iv) Monitoring of the Scheme on real time basis to eliminate mis-match between foodgrain supply and cooking costs. v) Better implementation and close monitoring of the Scheme by the community. vi) Quality improvement through preparation of varieties of menu and preparation of nutritious meal of required calorific values and saving through energy conservation and safety in meal preparation. vii) Generating awareness of entitlement of children, hygiene and safety, community awareness and their participation

(a) **Financial Progress:-**

(₹ in Crore)

Xth Plan Central Outlay	**Central Expenditure**
₹ 5900.00	₹ 13747.38
XIth Plan Central Outlay approved by Planning Commission	Central Expenditure during 2010-11
₹ 48000.00	₹ 9118.33 cr. against the allocation of ₹9440.00 crores during 2010-11.

BE 2011-12	**RE 2011-12**	**Central Expenditure till 30.12.2011**
10380	10380	7592.69

(b) **Targets and achievement 2011-12**

S. No.	**Items**	**Achievement**
1	No. of Children Covered under the scheme	7.15cr. Primary and 3.25cr. Upper Primary as on 30.9.2011(94% overall).
2	Construction of Kitchen-cum-Store	Construction of Kitchen-cum-Store in 8.71 lakh schools has been sanctioned from 2006-07 to 2010-11. Out of 8.71 lakh sanctioned Kitchen sheds, 5.01 lakh have been constructed and construction in 1.29 lakh Kitchen sheds are in progress.
3	Procurement of Kitchen Devices	Procurement of kitchen devices in 11.31 lakh school has been sanctioned from 2006-07 to 2010-11. Out of these, Kitchen Devices have been procured in 10.18 lakh schools up to 30.06.2011.

Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme

Launched on 2nd October, 1975 in 33 Community Development Blocks, ICDS today represents one of the world's largest programmes for early childhood development. ICDS is the foremost symbol of India's commitment to her children. It seeks to provide an integrated package of health, nutrition and educational services to children up to six years of age, pregnant women and nursing mothers. They are presently reached through a network of more than 22 lakh AWWs/Helpers through almost 12.95 lakh Anganwadi Centres. A package of six services are provided under the scheme namely (i) supplementary nutrition, (ii) non-formal pre-school education, (iii) nutrition and health education (through ICDS personnel) and (iv) immunization, (v) health check-up, (vi) referral services (in convergence with Health Systems).

ICDS is a Centrally Sponsored Scheme implemented through the State Governments/UT Administrations. Restructuring and strengthening of ICDS is under process.

In order to universalize the scheme, the Government has approved additional 792 projects & nearly 3 lakh AWCs. With this the total number of sanctioned projects is now 7076 (6779 are operational); 13,66,776 sanctioned AWCs (12,95,863 are operational) reaching a total of nearly 14 lakh AWCs (i.e. AWCs, mini AWCs including 20,000 AWCS on demand). From the financial year 2009-10, Government of India has modified the funding pattern of ICDS between Centre and States/UTs. For SNP, the ratio of 50:50 continues except for North-Eastern States, where it has been changed to 90:10. The allocation for ICDS has gone up from ₹14,048.40 crore in 2011-12 to ₹15,850 crore (BE) in 2012-13.

Under the ICDS Scheme, targets for operationalization of ICDS Projects and Anganwadi Centres (AWCs) cumulatively are fixed every year. States/UTs are required to achieve cent per cent targets fixed for each of XI Plan. Achievement below cent per cent would be taken as poor. States/UTs are permitted to operationalise up to sanctioned number of Projects and AWCs/mini-AWCs. Achievement w.r.t. target during XI Plan under ICDS scheme in respect of Operationalization of ICDS Projects and AWCs are as under:

Target Vs. Achievement under ICDS Scheme during XI Plan

Quantifiable Targets		Target (XI Plan)	Achievement(Cumulative) as on 30.11.2011
1.	No. of ICDS Projects to be operationalized	6900 (cumulative)	6779 (cumulative)
2.	No. of Anganwadi Centres to be operationalized	13.09 Lakh (cumulative)	12.96 lakh (cumulative)

ICDS Scheme is self-selecting. Target with regard to beneficiaries (for Mothers and Children) for supplementary Nutrition under ICDS Scheme are not fixed as States are required to provide supplementary nutrition to all eligible beneficiaries i.e. children 6 months to 6 years and pregnant & lactating women as per the schematic pattern and norms of the ICDS Scheme. States are required to fill up all the honorary positions of Anganwari Workers and Helpers in the operational AWCs and as such no targets have been fixed.

Achievement During 2011-12

Quantifiable Targets	Target (2011-12)	Achievement (2011-12)*
No. of ICDS Projects to be operationalized	7050 (cumulative)	6779 (cumulative)
No. of Anganwadi Centres to be operationalized	13.40 lakh (cumulative)	12.95 lakh (cumulative)

Quantifiable Targets	Target (2011-12)	Achievement (2011-12)*
No. of beneficiaries Supplementary Nutrition	Children:863.00 lakh Mothers: 190.00 lakh	Children: 757.36 lakh Mothers: 180.05 lakh
No. of Pre-school education beneficiaries	403.00 lakh	357.85 lakh

* *upto 30.11.2011*

Reasons for shortfall:

1&2. After sanction from GOI, the operationalization is to be done by the States/UTs. Due to pending Court cases and other Administrative Financial difficulties faced by States, there is some delay in Sanctions by States and in operationalization.

3&4. The number of beneficiaries may increase with increase in operationalization.

The objectives of ICDS Scheme, quantifiable deliverables/physical outputs, projected outcome and processes/Timelines including remarks for 2012-13 are given below:

Objective/Outcome	Proposed Outlay 2012-13	Quantifiable Deliverables/ Physical Outpouts	Projected Outcome	Processes/ Timelines	Remarks/ Risk factors
1	2	3	4	5	6
i) To improve the nutrition and health status of children in the age group of 0-6 years; ii) To lay the foundation for proper psychological, physical and social development of child; iii) To reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout; iv) To achieve effective coordination of policy and	₹15850.00 cr	1. No. of ICDS Projects to be made operational (cumulative) by March 2013 : **7000** 2. No. of Anganwadi Centre (AWCs)/ Mini-AWCs to be made operational (cumulative) by March 2013 : **13.40 lakhs** 3. To achieve the objective/ outcome, delivery of a package of six services namely i)	*Improved child related outcomes.Targets for number of beneficiaries under supplementary nutrition & pre-school education are not fixed by Government of India since States/ UTs are required to provide these services to all eligible beneficiaries viz. children below 6 years and pregnant & lactating mothers. The following projected outcome/ targets have been fixed for the review purpose only.* *1. Number of beneficiaries of children (6*	1. Status to be reviewed and monitored on progress of operationalisation through Monthly/ Quarterly Progress reports and meetings. 2. Increasing awareness, training & IEC activities.	1. States need to show deeper commitment to operationalize all AWCs, release State shares, promptly make available the funds released by GOI along with State share, fill up all vacant posts and undertake extensive IEC activities. 2. States need to ensure better delivery processes especially uninterrupted supply of SNP. The guidelines of feeding and financial norms

Objective/Outcome	Proposed Outlay 2012-13	Quantifiable Deliverables/ Physical Outpouts	Projected Outcome	Processes/ Timelines	Remarks/ Risk factors
1	2	3	4	5	6
implementation amongst the various departments to promote child development; and v) To enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education.		supplementary nutrition, ii) non-formal pre-school education, iii) nutrition and health education (through ICDS platform) and iv) immunization, v) health check-up & vi) referral services (in convergence with Health Systems)are provided to target groups 4. Roll out of revised MIS.	*month-6 years) to receive supplementary nutrition* = ***8.04crore*** *2. Number of beneficiaris of pregnant/ lactating mothers to receive supplementary nutrition* **= *1.88 crore*** *3. Number of beneficiaris of children (3-6 years) to attend pre-school education* **= *3.75 crore***		should be followed rigorously. 3. Intense supervision and regular monitoring should be done. 4. Need to submit training plans by States in time, dissemination of information across all levels should be complete. 5. Involvement of PRIs, SHGs, NGOs in facilitating and reinforcing ICDS.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)

The objective of the Mahatma Gandhi NREGA is to provide enhanced livelihood security to the households in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household whose adult members are willing to do unskilled manual work. The Act came into force in 200 notified districts of the country with effect from 2nd February, 2006 and additional 130 districts from 2007-08. All the remaining districts of the country were brought in the ambit of the Act from 1st April, 2008. The statutory commitment, to cover all districts of the country within five years of the implementation of the Act, has thus been fulfilled.

The Mahatma Gandhi NREGA is a demand based programme, hence, requirement of funds and employment generation depend on demand for work. The financial outlay (B.E.) under Mahatma Gandhi NREGA for 2011-12 has been pegged at ₹40,000 crore. Schedule I, paragraph 1, sub para (iv) of National Rural Employment Guarantee Act 2005, has been amended as per MoRD Notification dated 22nd July, 2009, to provide for irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities to land owned by households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or below poverty line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of Government of India or that of the small farmers or marginal farmers as defined in the "Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008" Under Schedule I, para 1, sub para (iv) of National Rural Employment Guarantee Act 2005, the following has been notified: "Construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as Village Knowledge Resource Centre and Gram Panchayat Bhawan at gram panchayat level".

Construction of playgrounds under MGNREGA in IAP districts have been notified as a permissible activity under MGNREGA. Amendment in para 6.1.1(viii) of MGNREGA Guidelines has been made to allow use of stone kharanja or brick kharanja for internal roads and cement concrete road where stone/ brick kharanja is not available. Overall performance under the programme is as under:

S.No.	Indicators	2006-07 (200 Districts)	2007-08 (330 Districts)	2008-09 (615 Districts)	2009-10 (619 Districts)	2010-11 (626 Districts)	*2011-12(626 Districts)
1	Employment provided to Household (crores)	2.10	3.39	4.51	5.26	5.49	3.77
2	Person days generated						
	Total (crores)	90.5	143.59	216.32	283.59	257.15	120.88
	SCs	22.95 (25 %)	39.36 (27%)	63.36 (29%)	86.45 (30%)	78.76 (31%)	27.40 (23%)
	STs	32.98 (36%)	42.07 (29%)	55.02 (25%)	58.74 (21%)	53.62 (21%)	20.69 (17%)
	Women	36.79 (40%)	61.15 (43%)	103.571 (48%)	136.40 (48%)	122.74 (48%)	59.80 (49%)

* *upto December, 2011*

During 2011-12 (upto December, 2011) wage employment was provided to 3.77 crore household and total employment of 120.88 crore person days was generated in 626 districts covered under Mahatma Gandhi NREGA. This works out to an average employment of 32 days per household. Of the total employment generated under the programme 23% and 17% of person days of employment were availed by SCs and STs respectively. The share of women in the employment generation was 49% during the year.

In pursuance to the announcement by Hon'ble Finance Minister in his Budget Speech 2009 to provide a real wage of ₹100/- a day as an entitlement under the Mahatma Gandhi NREGA, Government of India has set up a Committee under the Chairmanship of Dr. Pronab Sen, Principal Advisor, Planning Commission for developing an index for fixing MGNREGA wage rates and its periodic revision. The report of the Committee is awaited. Pending a final decision, Government of India has taken a decision to index wage rate notified under MGNREGA to the Consumer Price Index for Agricultural Labour and, accordingly, issued the notification dated 14/1/2011 in the Gazette of India, [Extraordinary], notifying the revised wage rates under sub-section (1) of Section (6) of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

One of the objectives of Mahatma Gandhi NREGA is to create durable assets through works pertaining to watershed approach, land development, flood control and protection and rural connectivity. 62.72 lakh works were undertaken out of which around 50% pertain to water conservation, while others pertained to afforestation, land development and rural connectivity etc.

The management of the scheme is being made more transparent by placing all data on the web-enabled Mahatma Gandhi NREGA MIS. Social Audits are conducted for public scrutiny of the outcomes of the scheme.

Mahatma Gandhi NREGA is demand based legislation. The person days generated is a function of demand for employment. Therefore, the outcome will be actual person days generated on household demand for wage employment.

National Rural Drinking Water Programme

'Safe Drinking Water to Rural India' is one of the components of Bharat Nirman which aims at providing safe drinking water to all habitations in rural India by 2012. Government of India's major intervention in water sector is the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) (erstwhile Accelerated Rural Water Supply Programme) for assisting States/ UTs to universalize the coverage of drinking water supply. As per the latest information available, the coverage of rural habitations is about 75% which is because of constant slippages of habitations from fully covered status due to reasons like over-exploitation of ground water, neglect of surface water sources and rainwater harvesting, creation of new habitations and occasional non-functionality of services, etc. The constant lowering of ground water table has brought about another dangerous consequence in the sector viz. leaching of highly toxic chemical contaminants such as arsenic and fluoride. Another important reason for slippage of habitations was over-dependence on a single source viz. ground water in the rural areas (85%) as opposed to surface water sources in urban areas.

In the NRDWP, there is a shift in focus from coverage of habitations to universal coverage of households. As per the NSSO 65th Round Survey (2008-09), more than 90% of rural households have access to safe water from protected sources.

During 2011-12 a total 1,45,169 habitations (1,15,379 partially covered and 29,790 quality affected) are targeted to be covered. Against this target 76,946 (65,243 partially covered and 11,703 quality affected) habitations have been covered as on 31st January, 2012. 30,380 rural schools are targeted to be provided water supply in 2011-12 of which so far 18,226 schools have been covered as per the online reporting system of the Ministry.

Targets/ Outcomes 2012-13

During 2012-13 a provision of ₹10,500 crore has been made for providing safe drinking water. The targets for 2012-13 are to be finalised in consultation with the States. Based on 2011-12 achievement so far, it is expected that 1,15,000 partially covered habitations and about 30,000 quality affected habitations may be targeted for coverage during 2012-13 subject to final targets intimated by States.

Total Sanitation Campaign

The Central Rural Sanitation Programme (CRSP), was launched in 1986 in the Ministry of Rural Development with the objective of improving the quality of life of rural people and to provide privacy and dignity to women. The concept of sanitation was expanded in 1999 to include personal hygiene, home sanitation, safe water and garbage, excreta & wastewater disposal. Thus the revised programme aimed at an integrated approach of rural sanitation named as Total Sanitation Campaign(TSC) with following principles:

TSC Principles

- Demand Driven
- Community Driven & People centered
- Campaign mode approach
- Focus on IEC
- Alternative delivery mechanisms (Rural Sanitation Marts/Production Centres)
- Strong focus on school sanitation and hygiene promotion
- Involvement of co-operatives, women groups, self help groups, youth clubs, NGOs, PRI etc.
- Cost sharing in construction of sanitation facilities.

TSC is being implemented in 607 districts covering 30 States/ UTs with an approved outlay of ₹22022.61 crore of which the Central, State and Beneficiary/ Panchayats/ PTA share is ₹ 14425.83 crore, ₹ 5394.43 crore and ₹ 2202.35 crore respectively. An amount of ₹ 7892.34 crore towards Central share has so far been released. As on 31.12.2011, 839 lakh households have been provided support for building toilets, 22,975 Community Sanitary Complexes have been built, 11,89,232 toilet units have been provided to schools, 3,97,182 Anganwadi/Balwadi toilets have been built and 8,481 Rural Sanitary Marts/Production Centre have been setup.

Targets/Outcome 2012-13

(i) Full household coverage by 2017: As far as sanitation is concerned, efforts are being made to complete present project objectives under TSC projects in the entire rural areas of the country by 2017. During the year 2012-13, 80 lakh rural households approximately are expected to be covered with sanitation facilities.

In order to ensure good quality construction of individual household toilets as per plan and specifications and for timely implementation of the TSC to achieve the objectives of sanitation coverage in rural India, the Government has also enhanced the admissible cost of individual household toilets w.e.f. 1st June, 2011

(ii) School coverage by 2012-13: As part of the TSC implementation, greater thrust has been given to ensure 100 percent coverage of rural schools with toilet facilities by the end of 2012-13. The coverage will target all government schools in the rural areas with the funds available under the TSC. In all the co-educational schools, separate toilet blocks for girls will be constructed. Under TSC, 13.14 lakh toilet blocks have already been sanctioned and it is estimated that all toilet blocks in all schools will be completed by March, 2013.

During 2012-13, a provision of ₹3,500 crore has been made for Total Sanitation Campaign (TSC).